राजस्थान विधान सभा

५२ वीं बैठक, बुधवार, दिनांक–११ अगस्त, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८ बजकर ५ मिनट

(प्रातः) पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १३६०

बीकानेर पॉवर हाउस में बॉयलर के चूंपों की चोरी

श्री प्रभुदयाल—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि बीकानेर पॉवर हाउस में बॉयलर के चूंपे चुराने का वाका हुआ था ?

(ख) क्या यह सही है कि जब चोर के घर की तलाशी ली गई तो किसी इङ्गलिश कंपनी की बाकोलाइट की १२ नगरिंग बरामद हुई ?

(ग) क्या यह सही है कि कई दफा पहले भी ऐसी चोरियाँ हो चुकी हैं जिनका आज तक पता नहीं चला है ?

(घ) क्या सरकार ऐसे चोरों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

(ङ) अगर हाँ, तो क्या ?

(च) क्या यह सही है कि उपरोक्त वाके से संबन्धित चोर की जमानत लेकर उसी जगह पर रखा जा रहा है ?

(छ) अगर हाँ, तो क्यों ?

Page No.2

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मन्त्री)— (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं।

(घ) चोरी होगी तो अवश्य की जायगी।

(ङ) नियमानुसार, जो सर्वथा घटना पर निर्भर होगा।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार दुबारा जांच कराने के लिए तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—दुबारा का प्रश्न ही नहीं उठता है, एक दफा की भी जरूरत नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह चूंपे क्या चीज होती है, माननीय मन्त्रीजी बताने की कृपा करें ?

श्री टीकाराम पालीवाल—बॉयलर होता है।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार कान्फीडेन्शियल जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जो जानकारी मुझे प्राप्त है उसके आधार पर कोई अन्य इन्क्वायरी कराने की जरूरत नहीं है।

सन् ५३-५४ में सायला और जालिया (तहसील सरवाड़) के तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए शासकीय व्यय

श्री चान्दमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) ५३-५४ के वर्ष में सायला और जालिया (तहसील सरवाड़) के तालाबों की मरम्मत के लिए कितने रुपये स्वीकृत किये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि राज्याधिकारियों की गफलत से उक्त रकम खर्च नहीं की जाकर लेप्स हो गई है ?

(३) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)--(१) १६५३-५४ के वर्ष में सायला और जालिया (तहसील सरवाड़) के तालाबों की मरम्मत के लिए ८६५४) रु० स्वीकृत किये गये।

(२) नहीं।

(३) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री चाँदमल मेहता—कितना रुपया खर्च किया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने बताया आपको ८६५४) रु०।

श्री चान्दमल मेहता—इतना तो स्वीकार किया गया है। मैं यह पूछ रहा हूँ कि कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—करीब करीब सभी खर्च हो गया।

श्री चान्दमल मेहता—क्या माननीय मन्त्रीजी की जानकारी में है कि तालाबों पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष— नई जानकारी का जवाब दीजिये।

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे सहयोगी जो कि इस डिपार्टमेन्ट के इन्चार्ज थे उन्होंने बताया कि गांव वालों ने इसका विरोध किया था इसलिये वह कार्य नहीं हो सका।

श्री चान्दमल मेहता—क्या गांव वालों ने चाहा था कि तालाबों की मरम्मत नहीं कराई जाय ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कुछ लोग चाहते थे कि मरम्मत कराई जाय ताकि सिंचाई हो सके। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि उनकी मरम्मत हो। कुछ लोग पानी चाहते हैं सिंचाई के लिए और कुछ लोग उन तालाबों में बेड कल्टीवेशन करना चाहते हैं। तो बेड कल्टीवेशन कराने वालों ने ऑब्जेक्शन किया।

श्री चाँदमल मेहता—तो क्या बेड कल्टीवेशन करने वालों के एतराज करने पर सरकार यह मानती है कि उन तालाबों की मरम्मत नहीं कराई जाय ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी बात नहीं है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या इस वर्ष में उस काम को कराने के लिये सरकार तैयार है ?

Page No.4

श्री टीकाराम पालीवाल—सोचेंगे कि इनकी मरम्मत कराई जाय।

श्री चान्दमल मेहता—क्या इस बात की जांच कराने के लिए तैयार हैं कि आया अधिकारियों की गफलत की वजह से यह रकम लेप्स हुई है या किसानों के झगड़े की वजह से यह मरम्मत नहीं हो सकी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरी जानकारी में किसानों के झगडे की वजह से यह काम नहीं हो सका।

श्री चान्दमल मेहता—आपने जानकारी तो पहले ही दी है कि सभी रुपया हो चुका है।

प्रश्न संख्या १३६२

राजस्थान में पागल कुत्तों से काटे हुओं की चिकित्सा

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में पागल कुत्तों के काटे हुए का इलाज होने की कहाँ-कहाँ व्यवस्था है ?

(ख) सन् ५३-५४ में ऐसे कितने केसेज़ उक्त स्थानों पर आये ?

(ग) ऐसे मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है या उनसे इन्जेक्शन आदि का मूल्य लिया जाता है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) और (ख) इसकी सूचना सदन की टेबिल पर रख दी गई है।

(ग) मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह माननीय मन्त्रीजी की जानकारी में है कि किशनगढ़ में इस किस्म के इलाज की व्यवस्था नहीं है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसा नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—तो किशनगढ़ में इस तरह के मरीजों की कितनी संख्या है जो वहाँ आये, अगर वहाँ इलाज की व्यवस्था है तो ?

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या ?

श्री चाँदमल मेहता--किशनगढ़ में ५३-५४ में इस तरह के मरीज जो वहाँ इलाज कराने आये उनकी क्या संख्या है, अगर वहाँ यह व्यवस्था है तो ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कुत्तों ने ही नहीं काटा होगा।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्रीजी के ध्यान में यह बात है कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण वहाँ के आदमी इलाज कराने के लिए अजमेर जाते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वह अस्पताल नजदीक पड़ता है और शायद बड़े अस्पताल का आकर्षण है, इसलिए वहाँ जाते हैं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने मूल्य के इन्जेक्शन सन् ५३-५४ में किशनगढ़ में भेजे थे इलाज के लिए ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह डाक्टरों के इन्डेन्ट पर निर्भर है। आवश्यकता होती है तो वे इंजेक्शन और दवाई की माँग करते हैं। कुत्ते के काटे हुए पहुँचते ही नहीं तो इन्जेक्शन मंगाकर क्या करें ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या कुत्ता काटने के बाद इन्जेक्शन भेजे जाते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं पहले भेजा जाता है।

श्री चाँदमल मेहता—सन् ५३-५४ में कितने भेजे गये ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वहाँ बीमार आये नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि वहाँ इन्जेक्शन नहीं होने से वहाँ के अस्पताल वालों ने इलाज करने से इन्कार कर दिया इसलिए मरीजों को अजमेर जाना पड़ा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसा नहीं है। जब किशनगढ़ स्टेट थी तब वहाँ बड़ा अस्पताल नहीं था और बड़ा अस्पताल अजमेर में था। अजमेर वहां से नजदीक पड़ता है। अजमेर जाने की वहाँ के लोगों की आदत पड़ गई थी और बड़े अस्पताल का आकर्षण था इसलिए वहाँ लोग जाया करते थे।

श्री चाँदमल मेहता—क्या आगे के लिये व्यवस्था करने के लिए आप तैयार हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हाँ, । हैं।

श्री हिम्मतसिंह (कटरू)—क्या किशनगढ़ में पागल कुत्ते कतई नहीं हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—एक आध हो सकता है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—उन पागल कुत्तों का क्या होता है? क्या उनके लिए हाइड्रोफोबिया का प्रबन्ध है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—हाइड्रोफोबिया से कितने दिन से मर जाते हैं?

श्री कुम्भाराम आर्य—आपको भी इसका अनुभव होना चाहिये।

कुँ० जसवन्तसिंह—मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब नहीं दिया गया?

श्री टीकाराम पालीवाल—The question was not intelligible.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—(in a state of relief) That is all right.

प्रश्न संख्या १३६३

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १३६४

वर्तमान वर्ष में किशनगढ़-रूपनगढ़ सड़क के
जीर्णोद्धार के लिए शासकीय व्यय

श्री चाँदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) चालू वर्ष में किशनगढ़ रूपनगढ़ रोड की मरम्मत के लिए कितना रुपया स्वीकृत किया गया है?

(ख) क्या इस सड़क की मरम्मत शुरू करा दी गई है?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री टीकाराम पालीवाल—किशनगढ़-रूपनगढ़ सड़क अभी बन रही है और इस साल इसके लिए ५०,०००) रु० बजट में स्वीकृत हैं।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ख) सड़क पर निर्माण सामग्री इकट्ठी कर ली गई हैं और कुटाई होना बाकी है, क्योंकि अभी सड़क पूरी बन नहीं चुकी है इसलिए मरम्मत का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर जो कंकड़ पड़ी हुई हैं वह कई महीनों से पड़ी हुई है और उस पर कोई काम नहीं होता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सही हो सकता है।

श्री चाँदमल मेहता—अब कब तक काम जारी करने का विचार रखते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—काम जारी है, थोड़ा बाकी है।

श्री चाँदमल मेहता—इस समय क्या काम जारी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने इसका इन्सपेक्शन नहीं किया है।

प्रश्न संख्या १३६५

ग्राम कटसूरा (तहसील अराई) के तालाब के जीर्णोद्धार के लिए शासकीय व्यय

श्री चाँदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम कटसूरा (तहसील अराई) के तालाब की मरम्मत के लिए कोई रकम चालू वर्ष में स्वीकृत की गई है ?

(ख) यदि हाँ, तो कितना रुपया स्वीकृत किया गया और उसमें से कितना खर्च किया जा चुका है।

(ग) इस तालाब पर मिट्टी डालने का ठेका किस रेट पर दिया गया है ?

(घ) क्या यह सही है कि मिट्टी तालाब के अन्दर से नहीं खोदी जाकर बाहर से खोदी जा रही है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ङ) यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) ग्राम कटसुरा में दो तालाब हैं। एक तो गनेश सागर जिसकी कि मरम्मत के लिए रकम सन् ५४-५५ में स्वीकृत की गई है और दूसरा भवानी सागर जिसकी कि मरम्मत के लिए रकम सन् ५३-५४ में स्वीकृत की गई है।

(ख) तालाब गनेश सागर के लिए स्वीकृत रकम ५००० रु० है जिसमें कि अभी कोई खर्चा इस कार्यालय से अप्रेल से जुलाई तक कुछ नहीं हुआ है, केवल साइट पर काम हो रहा है। दूसरा तालाब भवानी सागर के लिए स्वीकृत रकम ६६००) रु० है जिसमें अभी मार्च ५४ तक ५६८२) रु० खर्च हुआ है और बाकी कार्य चालू है।

(ग) तालाब गनेश सागर में तो कोई मिट्टी का कार्य नहीं है और तालाब भवानी सागर में २२ रु० प्रति हजार के हिसाब से ठेका दिया गया।

(घ) यह सही नहीं है।

(ङ) यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि तालाब से मिट्टी निकालने के लिए १६) रु० प्रति हजार क्युबिक फुट की शिड्यूल्ड रेट है। फिर २२) रु० प्रति हजार क्यु० फुट देने का क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अक्सर शिड्यूल्ड रेट से ऊपर तभी दिया जाता है जब कि शिड्यूल्ड रेट से कम का टेन्डर देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। इस केस में शिड्यूल्ड रेट से कम में या उस रेट पर काम करने के लिए कोई ठेकेदार तैयार नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा रेट पर ठेका दिया गया।

श्री चाँदमल मेहता—क्या शिड्यूल्ड रेट में काम करने के लिए कोई ठेकेदार तैयार नहीं हुआ ?

श्री टीकाराम पालीवाल—टेन्डर्स इन्वाइट किये जाते हैं। जो शिड्यूल्ड रेट से कम में काम करने को तैयार होता है वह अपने टेन्डर में ऐसी रेट लिख देता है और जो ज्यादा में करने के लिए तैयार होता है वह ज्यादा का लिख देता है। इस केस में कम में कोई तैयार नहीं हुआ।

श्री चाँदमल मेहता—हायर रेट तालाब के अन्दर से मिट्टी निकालने की वजह से नहीं हुई बल्कि बाहर से निकालने के कारण हुई।

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी बात नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या आप जाँच करवाने के लिए तैयार हैं कि तालाब के अन्दर से मिट्टी निकाली जाती है या बाहर से ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरी जानकारी है कि बाहर से नहीं निकाली जा रही है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या बाहर से निकाली जाती है तो इसके लिए जाँच करने के लिए तैयार हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हाँ, जल्दी से जल्दी।

प्रश्न संख्या १३६६

राजस्थान के जिलों में सहकारी समितियों की प्रगति तथा सराड़ा सलूम्बर की समितियों के व्यय का हिसाब

श्री दीनबन्धु परमार—क्या सहकारी विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के किन-किन जिलों में सहकारी समितियां चल रही हैं ? उन समितियों ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

(ख) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर तहसील सलूम्बर में सहकारी समिति के मैनेजिंग डाईरेक्टर श्री पन्नालालजी पंचोली और सेक्रेटरी हीरालाल जैन ने सहकारी समिति का दिवाला निकाल दिया है ? उस समिति के द्वारा वहाँ की जनता ने कितने रुपयों के शेयर खरीदे ?

(ग) अन्न संकट के समय सराड़ा सलुम्बर क्षेत्र के लिए राजस्थान सरकार के सप्लाई विभाग ने समिति के डाईरेक्टर तथा सेक्रेटरी के क्रेडिट पर समिति को कितना अनाज दिया ?

(घ) क्या यह सही है कि उस अनाज का ब्लेक करके हजारों रुपये का निजी फायदा उठाया और जब हिसाब माँगा गया तब सराड़ा एस. डी. ओ. से मिल कर अनाज की बोरियों की बोरियों को धूल बता दिया गया ? क्या सरकार की ओर से कोई जाँच कमेटी बिठाई गई थी ? क्या उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट भी दी है ?

(ङ) सहकारी समिति के डाईरेक्टर और सेक्रेटरी ने हजारों रुपया का गबन किया, क्या यह सही है ?

Page No.10

श्री अमृतलाल यादव (मन्त्री, सहकारी विभाग)—राजस्थान के प्रायः हर जिले में ही न्यूनाधिक सहकारी समितियाँ कार्य कर रही हैं। उनके जिलेवार आँकड़े इस कार्यालय में नहीं है।

(ख) नहीं। इस समिति के द्वारा वहाँ की जनता ने ११,४६०) रु० के शेयर खरीदे हैं।

(ग) सन् १९५० में सप्लाई विभाग ने समिति के डाइरेक्टर और सेक्रेटरीके क्रेडिट पर नहीं, बल्कि समिति को २८,६०५ मन २३ सेर ८ छटांक धान क्रेडिट पर दिया था।

(घ) एक जाँच समिति नियुक्त की है जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।

(ङ) ऐसी कोई बात विभाग के नोटिस में नहीं है।

प्रश्न संख्या ११६७

श्री अध्यक्ष—श्री मोटाराम।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ११६८

फुलेरा तहसील में कालख सागर के बंध से सिंचाई

श्रीमती कमला कुमारी—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) फुलेरा तहसील में स्थित कालख सागर के बन्ध से हर साल कितनी सिंचाई होती है ?

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि २५ वर्ष पहले इससे १८,००० बीघा की सिंचाई होती थी ? यदि हाँ, तो पिछले कुछ वर्षों में इसके द्वारा होने वाली सिंचाई में जो अत्यधिक कमी आ गई है उसका क्या कारण है ?

(ग) इस बन्ध के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पंचवर्षीय योजना में इसके पुनर्निर्माण का कार्य करवाने का इरादा रखती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—गत १० साल में औसत सालाना सिंचाई १७५० बीघा की होती रही है।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ख) यह सही नहीं है कि २५ वर्ष पहले इस बन्ध से १८००० बीघा की सिचाई होती थी।

(ग) हाँ, इस पर विचार किया जायगा।

श्रीमती कमलाकुमारी—सिंचाई में जो कमी आई है उसका क्या कारण है, इसका जवाब नहीं दिया।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह प्रश्न आपने कब पूछा है।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न पूछा है, "यदि हाँ, तो पिछले कुछ वर्षों में इसके द्वारा होने वाली सिंचाई में जो अत्यधिक कमी आई है उसका क्या कारण है ?"

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने यह कहा है कि १८००० एकड़ की सिंचाई कभी नहीं होती थी।

श्रीमती कमला कुमारी—ये जो आँकड़े दिए हैं वे एक सिंचाई के हैं या तीन सिंचाई के ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा था न कि सालाना सिंचाई के हैं।

श्रीमती कमला कुमारी—ऐसा होता है कि एक खेत में एक बार सिंचाई होती है और किसी खेत में तीन बार होती है। तो क्या सब मिलाकर है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसमें तीन बार का सवाल नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—(On apprehending that the questions were being answered in an informal and private way) Mr Speaker, Sir, I will requet the Hon'ble Members, through you, kindly to address the Chair and also to let us have the questions before us and the information imparted to us and not only to one private member.

श्री टीकाराम पालीवाल—Thank you for the advice.

प्रश्न संख्या ११६६

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

Page No.12

[श्री अध्यक्ष]

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

प्रश्न संख्या १३७०

प्रतापसागर के बाँध, रावत भाटा, का बन्धाई कार्य

श्री सुगनचन्द जैन—क्या सिंचाई विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) रावतभाटा (प्रताप सागर बाँध) का कार्य कब तक चालू हो जावेगा ?

(ख) अब तक उसमें कितनी रकम खर्च हुई है ?

(ग) इसमें कितने गाँव डूब में आवेंगे और कौन-कौन से ?

(घ) जो गाँव डूब में आवेंगे उनको बसाने की व्यवस्था सरकार ने कराई है या नहीं ?

(ङ) क्या इसकी कमेटी बनाकर कार्यवाही होगी या अन्य प्रकार से ?

(च) कार्यवाही होगी तो कब तक बसाने का कार्य चालू कर दिया जावेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) राणा प्रताप सागर बाँध का कार्य सन् १९५७-५८ में आरम्भ किया जावेगा।

राना प्रताप सागर बाँध पर मार्च सन् १९५४ तक ३०,२३,९८१ रु० की धन राशि खर्च हो चुकी है, जिसमें प्रारम्भिक अनुसन्धान, सड़कें मकानात व दीगर स्टोर का सामान शामिल है।

राना प्रताप सागर बाँध बनने से निम्नलिखित गांव जलमग्न होंगे :—

१. रावतभाटा	२. कुन्डालिया
३. आनटी	४. अरनीया माली
५. छुरमी बागीर	६. भीखरा
७. चीतोड्या माली	८. अवहलदा

[श्री टीकाराम पालीवाल]

६. मैनपुरा	१०. साँगरपुरा
११. सैराट	१२. मकरी
	१३. मालगढ़
१४. तालेड़ जागीर	१५. दीपल खेड़ी
१६. जसवन्तपुरा मालीयास	१७. जूतपुरा
१८. डूंगरिया	१९. प्रेमपुरा
२०. मैनपुरा	२१. भीमड़ी
२२. बाजगंज जागीर	२३. प्रेमपुरा
२४. उथ्थान और कंवरपुरा	२५. गोपालपुरा
२६. देबपुरा	२७. नावड़ी खेड़ा जाग टीकाना नीमड़ी
२८. गंगा खेड़ा	२९. खेड़ली
३०. रायपुरा	३१. मातार
३२. गोट	३३. अरनिया
३४. गोरी	३५. वोरखेड़ा
३६. पीपलवाड़ा	३७. घरगका खेड़ा
३८. दोतरा	३९. काँटी
४०. भावड़ा	४१. नया गाँव
४२. मोतीपुरा	४३. हातोसी
४४. लक्ष्मीपुरा आलियासे	४५. कोरपुरा
४६. केयला	४७. नारायनपुरा
४८. कुखेनोड़ा	४९. मोरडी
५०. सेनदौरी	५१. सारंगपुरा
५२. टोडा का खेड़ा	५३. मनोली।

राजस्थान सरकार ने आज्ञा पत्र F. 4 [2] Apptts.A/54 दिनाँक २६ जून १९५४ योजना पर एक लेण्ड एक्वीजीशन ऑफीसर नियुक्त किया है जो इन सब बातों की जाँच करके रिपोर्ट करेगा और तब आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—कुल कल्टीवेटेड एरिया कितना है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कल्टिवेटेड एरिया का प्रश्न नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह अटरू—पॉपुलेशन क्या है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ये सब गलत प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न रेज़ करें तो रिलेन्वेट प्रश्न करें।

श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—यह रिलेवेन्ट ही तो है साहब।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं इसका उत्तर देता हूं साहब। इन सब गांवों की जन संख्या सेन्सेस रिपोर्ट में दी हुई है और उसको देख कर आप पता चला सकते हैं।

श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—आपने क्यों तकलीफ की फिर कह कर, हम ही देख लेते।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११७१

बेगू काटून्दा सड़क तथा सिंगोली भीचोर सड़क का निर्माण कार्य

श्री सुगन चन्द जैन—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;

(१) बेगू काटून्दा रोड और सिंगोली भीचोर रोड का कार्य कौन कौन सी तारीखों से शुरू हुआ है ? अब तक उनमें कितना-कितना काम हुआ है और कितना कितना बाकी है ? यह कब तक पूर्ण हो जायगा ? कितने कितने दिन की मियाद थी ?

(२) ठेकेदार का क्या नाम है ?

(३) अब तक कार्य पूरा न होने के क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(१) सिंगोरी भीचोर रोड: इस सड़क का काम दिनांक १०-१०-५३ से प्रारम्भ हुआ और निम्न काम हो चुका है :

Page No.15

[टीकाराम पालीवाल]

(क) सोलिंग १०० प्रतिशत

(ख) कलेक्शन बेलास्ट १०० प्रतिशत

(ग) मिट्टी ९५ प्रतिशत

काम जो बाकी होना रहा :

मिट्टी ५ प्रतिशत।

५ प्रतिशत मिट्टी का काम इस कारण नहीं हुआ है कि ४ मील में सोलिंग लग चुका है और कन्सोलडेशन बाकी है जो रोलर और कामों पर से रिक्त होने पर शीघ्र ही करा दिया जावेगा मिट्टी पटरी के काम में लाई जावेगी जो कुटाई सड़क होने के पश्चात की जा सकेगी। यह कार्य अधिकांश पूर्ण हो चुका है, केवल कुटाई व पटरी का काम बाकी है जो माह अक्टूबर सन् ५४ के अन्त तक पूर्णतया समाप्त करवा दिया जायगा।

इस काम की मयाद दिनांक ६-३-५४ तक थी।

(२) इस कार्य के ठेकेदार का नाम श्री शिवराम जेठा एन्ड सन्स है।

(३) इस काम के अब तक पूर्णतया समाप्त न होने का मुख्य कारण सड़क कूटने के एन्जिन का अभाव है, कारण कि काम कई सड़कों पर चल रहे हैं जब कि रोलर पर्याप्त नहीं हैं। येन केन प्रकारेण हर काम की आवश्यकता को देखते हुए रोलरों को एक काम से दूसरे पर भेजने का प्रयास व प्रबन्ध किया जाता रहा है।

(१) सड़कवार, प्रश्न वार उत्तर निम्न प्रकार है।

बेगूं कादूर्दा रोडः—इस सड़क का कार्य दिनांक १-७-५३ से प्रारम्भ हुआ और निम्नलिखित औसतन काम हो चुका है।

(क) सोलिंग ७० प्रतिशत।

(ख) कलेक्शन बैलास्ट ५५ प्रतिशत

(ग) मिट्टी ६६ प्रतिशत

काम जो बाकी होना रहा

Page No.16

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(क) सोलिंग ३० प्रतिशत

(ख) क्लेश्शन बैलास्ट ४५ ,,

(ग) मिट्टी ३४ ,,

इस विषय में यह भी स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि दो मील में से १ मील २ फर्लांग का सीलिंग भी किया जा चुका है किन्तु रोलर (बेन्जिन) रिक्त न होने के कारण कुटाई नहीं की जा सकी है।

प्रयास किया जा रहा है कि इस सड़क के कार्य को पूर्णतिया माह नवम्बर तक समाप्त कर दिया जावे।

मियाद इस काम की १८-३-५४ तक थी।

(२) इस सड़क के ठेकेदार का नाम नरोत्तम स्वरूप है।

(३) इस कार्य के अब तक पूरा न होने कारण यह है कि काम की चाल (प्रोग्रेस) के समय काम की रफ्तार को देखकर कई मर्तबा ठेकेदार को नोटिस दिये गये कि वह काम की रफ्तार को बढ़ाये। यहाँ तक कि उसका ठेका तोड़ने का प्रयोजन भी किया गया किन्तु यह निश्चित रहा है कि वह काम शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देगा। कमी रफ्तार का कारण उसने घर की आधि व्याधि इत्यादिक बतलाई थी।

एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की ओर से इस कार्य को शीघ्र समाप्त कराने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है और वे स्वयं मौके पर ठेकेदार के काम की रफ्तार को देखकर यानी श्री नरोत्तम स्वरूप के काम की संतोषजनक रफ्तार रखता है या नहीं; वैसाही प्रबन्ध करेंगे यदि उसके काम की रफ्तार संतोषजनक न पाई गई तो उसका ठेका तोड़ दिया जावेगा और किसी दूसरे ठेकेदार द्वारा या जैसा मुनासिब प्रतीत होगा इस कार्य को शीघ्र समाप्त करा देंगे।

प्रश्न संख्या १३७२

ग्राम पारोली (त० कोटड़ी) में घास के मैदान के बीड़ को भूमिहीन काश्तकारों को देने सम्बन्धी

श्री राम दयाल उपाध्याय—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री रामदयाल उपाध्याय]

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पारोली, तहसील कोटड़ी में एक बड़ा घास का बीड़ है जिसको कई आस-पास के भूमिहीन किसान काश्त के लिये लेना चाहते थे ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त बीड़ की जमीन भूमिहीन उन किसानों को न दी जाकर एक ही व्यक्ति के नाम वह जमीन रिलीज़ कर दी गई ?

(ग) क्या यह सही है कि वन विभाग में उन भूमिहीन किसानों के प्रार्थनापत्रों पर विचार तक नहीं किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव--माननीय अध्यक्ष, इसकी पूरी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, अतः इसका उत्तर मैं अपनी नेक्स्ट टर्न पर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३७३

बनास नदी का जल सिरोही जिले में रोकने की योजना

श्री जवानसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(अ) क्या सरकार बनास नदी का पानी सिरोही जिले में रोकने के लिये कोई योजना बना रही है ?

(ब) अगर हाँ, तो कहाँ और कितना रुपया इस योजना पर खर्च किया जायेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) हाँ।

(ख) यह योजना स्वरूप गंज रेल्वे स्टेशन के करीब ४ मील दक्षिण-पूर्व की ओर बन्ध बनाने की है और अनुमानित लागत ३७ लाख रुपया है ।

श्री जवान सिंह—इससे कितने बीघा भूमि सिंचाई होने वाली है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—१८०० एकड़ भूमि ।

श्री जवानसिंह—इस बन्ध के किस ओर को ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सूचना मेरे पास नहीं है । कुल मिला कर १८००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। आप अगर यह पूछने लगें कि किस-किस के खेतों की सिंचाई होगी तो यह उत्तर दिया जाना मुश्किल है ।

श्री जवानसिंह—यह जानकारी आवश्यक थी इसलिये मैं यह समझता हूँ कि आप इसका उत्तर दें ।

श्री टीकाराम पालीवाल—जब आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे तब मैं इसका अवश्य उत्तर दूंगा। हाँ, मैं यह जरूर बता सकता हूँ कि दूसरे बन्ध से सिंचाई होने वाली जमीन इसमें शामिल नहीं है।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि कठियावती नदी योजना और इस नदी घाटी योजना को शामिल किया जा रहा है?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह तो प्रश्न ही बिल्कुल अलग कर लिया आपने।

श्री जवानसिंह—यह जो ३७ लाख रुपया खर्च करने का आपने फरमाया है तो यह केवल इस नदी घाटी योजना पर ही खर्च होगा या कठियावती नदी योजना भी इसमें शामिल है?

श्री टीकाराम पालीवाल—३७ लाख जो बताया है वह ढाई करोड़ की जो रकम है उसके अन्तर्गत है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३७४

महाराणा धोलपुर की भिलगांवा की कोठी के निकट के तालाव से सिंचाई

श्री हंस राज अटिया—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सच है कि महाराणा धोलपुर की भीलगांवाँ की कोठी के निकट २ तालब हैं?

(२) क्या यह सच है कि यह दोनों तालाव अब भी महाराणा साहब धोलपुर के आधिपत्य में हैं?

(३) यदि उत्तर 'ना' में है, तो इन तालावों के जल से कितनी भूमि की सिंचाई होती है? यदि नहीं तो, क्यों नहीं?

श्री टीकाराम पालीवाल—(१) हाँ।

(२) नहीं।

(३) इनसे कोई सिंचाई नहीं होती। इनमें से एक तो छोटी तलाई है जो ढोरों के पानी पीने के काम में आती है तथा दूसरा जो तालाब है उसमें मोख [sluice] बांधने तथा उसको सुदृढ़ करने के उपरान्त उसे सिंचाई के योग्य बनाया जा सकता है।

Page No.19

श्री हंसराज जटिया—यह कब तक सिंचाई योग्य बनाया जा सकेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह अभी कुछ तय नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३७५

पूर्व राजस्थान के औषधालयों में जोधपुर एवं जयपुर डिविजन की अपेक्षा वैद्यों के पास मीनियल स्टाफ

श्री भोपाल सिंह—(प्रश्न कर्ता की अनुपस्थिति में श्री जवानसिंह ने प्रश्न किया) क्या चिकित्सा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या फॉर्मर राजस्थान के औषधालयों में जोधपुर एवं जयपुर डिविजन की अपेक्षा मीनियल स्टाफ वैद्यों के पास और भी रहता है।

(ब) यदि हां, तो उपरोक्त डिविजन में क्यों नहीं ?

(स) क्या इस डिविजन के वैद्यों के पास भी स्टाफ रक्खे जाने की व्यवस्था की जावेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य (अ) जी हाँ।

(ब) और (स) यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है। सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री जवानसिंह—सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—आपने उत्तर नहीं समझा।

श्री जवान सिंह —मैंने समझा नहीं, उत्तर इसीलिये तो प्रश्न पूछ रहा हूँ।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री जवानसिंह—मैं जानना चाहूँगा कि किस विषय पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जो बात आपने प्रश्न में पूछी है।

Page No.20

श्री जवानसिंह—क्या सरकार इन डिविजनों के अलावा भी विचार कर रही है या इन डिविजनों के बारे में विचार कर रही है?

श्री कुम्भाराम आर्य—सरकार आगे बढ़ने को सोच रही है।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार स्टाफ और बढ़ाने का सोच रही है?

श्री कुम्भाराम आर्य—सरकार कभी कम करने का ध्यान नहीं रखती।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११७६

सिकन्दरा-बाँदीकुई सड़क की असन्तोषजनक दशा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी— Will the Minister for P. W. D. please state as to who is responsible for the very unsatisfactory and wretched condition in which the Sikandra Bandikui road is at present?

(b) Will he please further state as to when this road was last repaired in its entirety, that is along its total length?

(c) Will he please further state whether it is proposed to repair this road along its entire length in the near future in view of the convenience of the general traffic?

(d) Is it a fact that the repairs of this road have been delayed due to the default of some contractor? If so, what steps have been taken so far against the contractor?

(e) In view of the urgency of the matter is the Minister prepared for taking up this work departmentally so as to avoid the delay which would cause in getting this work done by the contractor?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(a) The increasing traffic and acute paucity of funds for repairs are responsible for the unsatisfactory condition of the road.

(b) The road has never been repaired in its entirety at one time after construction.

Page No.21

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(c) It is proposed to progressively undertake the repairs of the entire road as funds permit.

(d) At present only fifth mile of the road is under repairs. The contractor delayed the work for which he was penalized. Collection of material is now complete and it will be consolidated very soon. Tenders are further being invited for renewal of mile 6 & 7.

(e) It is not considered neessary to take up the work departmentally. As soon as funds are available further repair programme will be undertaken through normal agency of contractors.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—In what manner was the contractor penalised ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Some penalty was imposed on him.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Has the Hon'ble Minister any idea of the penalty which might have been imposed on the contractor ?

श्री टीकाराम पालीवाल—No.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—When it is expected that the Department would be able to take up the repairs of this road ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I said, as soon as the funds permit.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Can the Hon'ble Minister give any exact idea of the time which may be necessary in this connection ?

श्री टीकाराम पालीवाल—No, I am sorry.

प्रश्न संख्या १३७७

बांदीकुई तहसील में सिगल मेजर, मीडियम तथा लघु सिंचाई कार्य का प्रारम्भ होना

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Will the Minister for Irrigation please state

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

as to whether a single major, medium or minor irrigation work has been started by his department in the Bandikui Tehsil ?

(a) Will he please state as to why the possibility of constructing an irrigation Dam or Bundha on any of the three rivers Bana, Sanwa and the Palasan passing through the territories of Bandikui has not been explored so far by his department ?

(b) Will the Minister please take early steps to explore the possibilities of a bundh, Dam or other irrigation work on the rivers Bana, Saniwa and Palasan as well as on any of the various brooklets, riverlets and Nalas in the Bandikui tehsil ?

श्री टीकाराम पालीवाल—No irrigation work has been started in Bandikni Tehsil.

(a) and (b) The entire drainage of Bandikui Tehsil flows into the Ban Ganga River, the water of which is already fully utilised by irrigation works in the Bharatpur District and there is no surplus available It is, therefore, undesirable to construct any dams on the streams mentioned in the question as this would adversely affect existing irrigation rights in Bharatpur, and expenditure would not result in any net increase in irrigation area.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Has the Government worked out the actual figures as to the volume of waters necessary for irrigation purposes in Bandikui or is it only a vague idea that all the water that flows into the river Ban Ganga is available for irrigation purposes ?

श्री टीकाराम पालीवाल—The entire waters that flow into the Ban Ganga river are being utilised for irrigation. It was not necessary to enquire as to what volume of water is required because there are still unirrigated tracts lying in Bharatpur which can use more waters which are available from the rivers.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—In the circumstances, what do the Government propose to do to meet the irrigation requirements in the Tehsil ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Well, irrigation is the only source of irrigation that the Government can suggest.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Has any additional grant been made for the giving of taccavies in view of the fact that no irrigation work has been undertaken in that Tehsil ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I do not know if the Revenue Department has made certain allotment.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Was it not incumbent upon the Irrigation Department to make summary survey and making arrangements for irrigation in that Tehsil ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Not at all. The Irrigation Department only takes up irrigation where major works are concerned. Well, irrigation is the concern of the Irrigation Department; but not of the Revenue Department.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Will the Hon'ble Minister kindly take steps to examine the possibility of sinking some tube-wells in that Tehsil ?

श्री टीकाराम पालीवाल—It is not worthwhile.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Has the Hon'ble Minister come to the conclusion that having a summary survey undertaken is not worthwhile without inviting the opinion of experts in this matter ?

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Member should...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Mr. Speaker, Sir, has the Hon'ble Member some justification for the reply that he has given ?

श्री टीकाराम पालीवाल—It is not worthwhile for the Irrigation Department which has got major works in hand..

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Does the Hon'ble Minister mean to state that it is not worthwhile for the Irrigation Department of the Government of Rajasthan to examine the possibilities of sinking tube-wells in Rajasthan ?

श्री टीकाराम पालीवाल—So long as their hands are full with major works.

श्री अध्यक्ष—This closes the fate of other aspirants also.

Page No.24

प्रश्न संख्या १३७८

चोखा नामक गोयलार (तहसील बाड़मेर) के एक किसान से गुलाबसिंह दुवारा ४००) रु० बोरिंग के नाम से हजम कर जाना

श्री तनसिंह—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बाड़मेर में अन्डर ग्राउन्ड वाटर वर्क्स द्वारा कुओं का बोरिंग हो रहा था, उस समय चोखा नामक गोयलार (तहसील बाड़मेर) के एक किसान से उक्त विभाग के एक कर्मचारी गुलाबसिंह ने ४००) रु० यह कह कर लिए थे कि वह उसके गांव के कुए का बोरिंग करवा देगा ?

(ख) क्या वह कर्मचारी रुपये हजम कर भाग गया और गोयलार गांव के कुए का कोई बोरिंग नहीं हुआ ?

(ग) क्या इस विषय की शिकायत कलेक्टर बाड़मेर को दी गई थी ?

(घ) उक्त शिकायत का क्या नतीजा निकला ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध की जा रही है, मिलने पर हाउस के सामने रख दी जावेगी।

उत्तर बाद में जो प्राप्त हुआ वह इस प्रकार है :

(क) हाँ।
(ख) हाँ।
(ग) नहीं।
(घ) अभी मामला चल रहा है, अभियुक्त फरार है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३७९

धौलपुर रेंज के प्रहलाद, राजाराम इत्यादि के रिटायरमेंट के सम्बन्ध में जाँच

श्री हंसराज जटिया—क्या वन विभाग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि धौलपुर रेंज में प्रहलाद, राजाराम, ज्वालाप्रसाद, गीदाराम व प्यारे सिपाहियों का रिटायरमेंट आर. एस. आर. के मुताबिक हुआ है ? यदि नहीं, तो किस प्रकार ?

[श्री हंसराज जटिया]

(२) क्या सरकार इस विषय में फिर से तहकीकात करने की कृपा करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव—(१) जी हाँ, आर. एस. आर के मुताबिक ऐसा हुआ है ।

(२) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३८०

दौसा से बाँदीकुई बसवा तक बिजली ले जाने की विभागीय योजना

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Will the Minister for P. W. D, please state as to whether his department is prepared to extend the supply of electricity from Dausa to Bandikui Baswa towns. via Kalakho; Drabi and Sikandra which can also be electrified in the way ?

[b] Will he please further state as to what, if any, are the difficulties in extending the supply of electric power to Bandikui and Baswa at present as indicated above ?

[c] Will the Minister please state whether his department can take active steps in the near-future towards the electrification of Bandikui and Baswa towns, the first of which is the biggest Railway junction in Rajasthan and the second is the head-quarter of Tehsil ?

[d] If this is not feasible in the near future will the Minister take early steps to negotiate with the authorities of the Western Railway for the supply of electric power to Madhoganj, Bandikui from the Railway power House in the adjoining railway colony at Bandikui ?

श्री टीकाराम पालीवाल—The electrification of Bandikui will be undertaken under Chambal Project, second stage.

[a] The present lead in the town does not justify the extension of the electricity transmission line from Dausa to that place.

[b] Yes, if the load justifies.

[c] It would depend on policy of railways.

Page No.26

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—What is the reply to [d] ?

श्री टीकाराम पालीवाल—It depends on the policy of the railway administration. So far they have refused to extend electricity.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—What is the policy of the Rajasthan Government in this behalf ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Chambal Project.

(हँसी)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—When was the negotiation with the Western Railway started in this connection ?

श्री टीकाराम पालीवाल—It was some time back.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Has the Hon'ble Minister any idea of the date ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I do not know the exact date.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Month or year ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Some years back.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Is it not to be contemplated that the position of supply of electricity regarding railways might have altered from what it was at the time the negotiations were made, and that at present it may be worthwhile ?

श्री टीकाराम पालीवाल-- would depend on the policy of the railway administrntion. Government may consider it again.

the matter with the railway authorities again ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Yes, this can be taken.

Page No.27

प्रश्न संख्या १३८१

सिकन्दरा-गीजगढ़ सड़क के निर्माण में विलम्ब

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Will the Minister for P. W. D. be pleased to state as to why the construction of Sikandra-Geejgarh road is being delayed unduly ?

[b] Will he please state as to whether steps would now be taken to expedite the construction of the above mentioned road ?

[c] Will the Minister please state when the construction of this road would be completed at the latest ?

श्री टीकाराम पालीवाल—[i] There is no question of undue delay. The work of this road is nearly complete except for minor items which are being attended to.

[ii] Yes.

[iii] About a month's time.

राजस्थान भूमि उपनिवेशन विधेयक, १९५४

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति की अवधि में वृद्धि)

श्री अध्यक्ष—The question hour is over. Legislative business.

श्री मोहन लाल सुखाडिया—माननीय अध्यक्ष लेन्ड कोलोनाइजेशन बिल के सम्बन्ध मे सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट ९ तारीख को पेश की जानी थी। मैं हाउस की इस महीने की अन्तिम तारीख तक उसे पेश करने की अवधि के लिए अनुमती चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या हाउस की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अगस्त के अन्त तक की अनुमति प्रदान की गई।

(श्री राज हिम्मत सिंह अटरू सभापति पदासीन)

राजस्थान भूधारण विधेयक १९५३ (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री सभापति—अब राजस्थान टिनेन्सी बिल १९५३ क्लॉज बाई क्लॉज लिया जायगा।

(विराम)

Do we take clause 7, I mean sub clause[7]

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Yes.

श्री सभापति—सब क्लाज ७ बोर्ड पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—श्री बृजसुन्दर जी का अमेन्डमेन्ट है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सब क्लाज ७ पर तो मेरा कोई एमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री सभापति—सब क्लाज ७ पर कोई एमेन्डमेन्ट नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—आपका यह है कि 'बी' केपिटल के बजाय बी लोअर कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह सब क्लाज ७ के लिये नहीं है।

श्री बृजसुन्दरशर्मा—I have no amendment to Sub clause 7.

श्री सभापति—क्योंकि सब क्लाज ७ बोर्ड पर कोई एमेन्डमेन्ट नहीं है और इस पर बहस की आवश्यकता नजर नहीं आती, इसलिए वोट के लिए रखा जाता है। क्या सदन को यह स्वीकार है?

(स्वीकृत)

सब क्लाज (७) स्वीकृत हुआ।

विराम

सब क्लॉज ८ व ९

विराम

सब क्लॉज ८ और ९ पर कोई एमेन्डमेन्ट नहीं है, इसलिए इनको भी वोट के लिए रखा जाता है, क्या सदन को ये स्वीकार हैं?

स्वीकृत

सब क्लॉज ८ और ९ स्वीकृत हुए।

विराम

सब क्लॉज १० इसमें श्री बृजसुन्दरजी का एमेन्डमेन्ट है।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—इस एमेन्डमेन्ट का क्या नम्बर है?

श्री सभापति—९६।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—There is a very formal amendment to this.

That the word 'Crops' should be in small letter. I need not argue this amendment. It is very simple and very formal. The Revenue Minister, I think, will realise this mistake and accept the amendment.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह समझा जाय की श्री बृजसुन्दरजी के जो भी एमेन्डमेंट्स आवेंगे वे मन्जूर कर लिए जावेंगे ?

("ऐसी कोई बात नहीं" ऐसी आवाज एवं हंसी)

श्री सभापति— मिनिस्टर महोदय, इन्चार्ज ऑफ दी बिल श्री बृजसुन्दरजी शर्मा के सब क्लाज १० के संशोधन को स्वीकार करते हैं; क्या सदन की राय है कि इजाजत दे दी जाय ?

श्री वेदपाल त्यागी—मेरा भी इसमें एमेन्डमेन्ट है।

श्री सभापति—Yes, Shri Vedpal Tyagi.

श्री वेदपाल त्यागी—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to sub-clause [10] of clause 4 of the Bill:—

"Delete at the end of the sub-clause semi-colon [;] and insert in its place comma [,] and add the following words at the end of the sub-clause "but shall not include fodder and pala".

क्रॉप की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें इस प्रकार की जो चीजें शामिल की गई हैं उसके अतिरिक्त भी कुछ चीजें इन्क्लूड की जा सकती हैं। इसको स्पेसिफिक क्लॉज बनाने के लिए ये शब्द एड किये गये हैं। 'फोडर' और 'पाला' ये क्रॉप में शामिल नहीं होगा। कई बार ऐसे केसेज़ आते हैं एक टिनेन्ट का दूसरे टिनेन्ट के साथ, सब टिनेन्ट और जागीरदार, खातेदार और टिनेन्ट के आते हैं। जब टिनेन्ट की खड़ी क्रॉप का कब्जा लेन्ड लॉर्ड को देना पड़ता है, ऐसी हालत में जो टिनेन्ट फोडर और पाला करता है वह हक वहाँ नहीं देना चाहिए। इस नुक्ते निगाह से मैंने इन शब्दों के एडिशन करने के लिए निवेदन किया है। आशा है माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति—श्री किशनलाल शाह (अनुपस्थित)

(विराम)

श्री श्रीदास गोयल (अनुपस्थित)

श्री भीमसिंह—चेयरमेन महोदय, मैं श्री त्यागीजी ने जो संशोधन रखा है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने जो दिक्कत ज़ाहिर की है फोडर और पाला की, उसके अलावा

[श्री भीमसिंह]

भी दिक्कत है पानी और लूंग की जो नेचुरल प्रोड्यूस के बारे में आती है। शायद वे पाला और फोडर से परिचित हैं किन्तु लूंग और पानी से परिचित नहीं हैं। इसके लिए अक्सर झगड़े खड़े हो जाया करते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पाला और फोडर के आगे "नेचुरल-प्रोड्यूस" शब्द जोड़ दिए जाँय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री वेदपाल त्यागी—मुझे इसको एड करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—चेयरमेन महोदय, "shall not include natural produce" फोडर के आगे इसको एड किया जाय तो इससे वाइड सेन्स में पर्पज़ पूरा हो जायगा। मुझे इन चीज़ों को स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति—क्लॉज़ १० में दो एमेन्डमेंट हैं। एक बहुत मामूली जो श्री बृजसुन्दर शर्मा ने रखा है और जिसे संबन्धित मन्त्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है। क्या सदन को यह स्वीकार है।

(स्वीकृत)

यह संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

दूसरा अमेंडमेंट श्री वेदपालजी त्यागी का है जो इस संशोधन के साथ "but shall not include fodder and natural produce" इसको भी माननीय मन्त्री ने स्वीकार कर लिया है। क्या यह सदन को स्वीकार है।

(स्वीकृत)

यह संशोधन भी स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि सब क्लाज़ १०, संशोधनानुसार, स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

यह सब क्लाज १०, संशोधनानुसार, स्वीकृत हुआ।

(विराम)

सब क्लाज़ ११, श्री त्यागी।

श्री वेदपाल त्यागी—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment in sub-clause (11):—

[श्री वेदपाल त्यागी]

"Delete the words from line one 'or interest in jagir land' "

'एस्टेट' की जो डेफीनिशन सब क्लाज़ में दी गई है वह इस प्रकार है "estate" shall mean jagir land or interest in Jagir land held by a Jagirdar & shall include land or interest in land held by a Biswedar, an Istamrardar or a Zamindar;"

यह जो इन्टरेस्ट इन जागीर एक्सटेन्ड किया गया है मेरी समझ में यह रिडन्डेंट है। "Held by a jagirdar" में तमाम इन्टरेस्ट वगैरह शामिल हो जाते हैं। अगर किसी जागीरदार के पास जागीर लेन्ड नहीं है तो इस कानून द्वारा 'इन्टरेस्ट इन जागीर लेन्ड' से जिम्मेवार नहीं किया जा सकता। यह कानून तो एग्रीकलचरल लेन्ड के सिलसिले में बनाया जा रहा है। दूसरे जो 'इन्टरेस्ट इन जागीर लेन्ड, में है उसके लिए 'एस्टेट' की डेफिनिशन में इन्क्लूड करना रिडन्डेन्ट है। हमें कानून इस प्रकार का बनाना चाहिए कि इस प्रकार की डेफिनिशन में ज्यादा शब्द न जोड़े जाँय, जिसके अर्थ कई हों। इसलिए 'इन्टरेस्ट इन जागीर लेन्ड' को निकाल देने की आवश्यकता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मि० चेयरमेन सर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री त्यागीजी ने जो एमेंडमेंट रखा है उसके मुवाफिक वे "interest in jagir land" शब्द निकालना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये शब्द रहना जरूरी है। जरूरी इसलिए है, कि 'हैल्ड बाई जागीरदार' के माने यह होंगे कि अगर किसी जागीरदार की जमीन इस्तमुरारदार या जमींदार के पास है तो वह 'हैल्ड' नहीं होगी, हेल्ड होगी इस्तमुरारदार या जमींदार द्वारा। इसलिए " interest in jagir land" शब्द रहने जरूरी हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मि० चेयरमेन, जो तरमीम श्री वेदपालजी त्यागी ने रखी है मैं समझता हूँ कि वह विधान के विपरीत है। 'इन्टरेस्ट इन जागीर लेन्ड' से मतलब होता है प्रोपर्टी राइट से। Property means rights in property held.

अगर जागीर के साथ केवल 'एस्टेट' लगा देते हैं तो it shall mean jagir and those rights in jagir, any interest in Jagir, which are precluded from that definition and therefore, it is ultra vires.

इससे all interest will come under that definition. There is no harm in this definition remaining as it is.

अब मैं आपको साफ कर दूँ कि किसी खास प्रोपर्टी से कोई इन्टरेस्ट हो, इस तरह से इनके राइटस व्यक्त हो जाते हैं that they have interest in that property. वे सब एस्टेट जागीर में आते हैं। All interest in that jagir, that comes under that definition.

श्री श्रीमानसिंह—Mr. Speaker, Sir, I could not follow Mr. Brij Sunder's argument, that deleting the words 'interest in Jagir' will be ultra vires of the Constitution. Probably he himself was not clear because as far as I understand

[श्री श्रीभानसिंह]

the legal implications of the term 'holding' means actual as well as implied interest. If the jagirdar has got actual possession of the land as well as implied interest, I think 'hold' or 'held' would include both. So I think this word 'interest in Jagir' is included in the term 'held'. The purpose would be served by retaining the term 'held'. So the amendment of Mr. Tyagi for the deletion of the words 'interest in Jagir' is quite right. That is covered by the word 'held' and therefore, these words are absolutely redundant and rather superfluous in this context.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि इस पर कोई सैद्धान्तिक बहस का प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा है। जो एमेन्डमेंट मूव किया गया है उसके अनुसार शर्त रखना आवश्यक नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसी कि इसकी डेफीनेशन दी हुई है कि : " 'Estate' shall mean jagir land or interest in Jagir land held by a Jagirdar."

तो पहले में जो इन्टरेस्ट वाली बात है वह main interest और partial interest भी हो सकता है। और तो इन शब्दों को हटा देने के बाद कॉम्प्लीकेशन की ज्यादा गुंजाइश होगी, और इनके रहने देने में स्पष्टीकरण ज्यादा रहता है। इसलिए ये शब्द ऐसे ही रहने देने में ज्यादा सहूलियत रहेगी। इसलिए इन शब्दों का रहना ही ज्यादा उपयुक्त है और ये एमेंडमेन्ट मैं मानने में असमर्थ हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—I do not press my amendment and beg leave of the House to withdraw it.

श्री सभापति—क्या हाउस की अनुमति है कि श्री वेदपाल त्यागी के सब क्लॉज़ (११) पर जो एमेंडमेन्ट है उसको विथड्रा करने की उनको इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई है।

श्री वेदपाल त्यागी—I withdraw my amendment.

श्री सभापति—श्री बृजसुन्दर शर्मा का एक एमेन्डमेंट है छोटा-सा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Mr. Chairman, Sir, I have moved a small amendment which applies to this as well as other sub-cluses that the words defined should begin with small letters and not with capital ones. The amendment is very simple and there is no need to speak about it. The small letter 'e' should be

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

substituted for the capital letter 'E' in the word 'Estate'.

श्री सभापति—यह एमेंडमेंट है आपका कि केपिटल 'इ' के बजाय स्माल 'इ' कर दिया जाय। यह ड्राफटिंग के समय ठीक कर दिया जावेगा। सब क्लॉज़ नं० (११), पर सम्मति ली जाती है।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (११) एक्सेप्ट किया गया।

(विराम)

सब क्लॉज़ १२

(विराम)

सब क्लॉज़ (१२) पर कोई एमेन्डमेंट नहीं है, इसलिए इसको पास करने के लिए वोट लिये जाते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (१२) एक्सेप्ट किया गया।

(विराम)

सब क्लॉज़ (१३), श्री वेदपाल त्यागी।

श्री वेदपाल त्यागी—I donot want to move.

श्री सभापति—सब क्लॉज़ १३ पर और कोई एमेन्डमेंट नहीं है और श्री त्यागी जी अपना संशोधन मूव करना नहीं चाहते; इसलिए अब इस पर वोट लिये जाते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (१३) एक्सेप्ट किया गया।

(विराम)

सब क्लॉज़ (१४)

Page No.34

[श्री सभापति]

(विराम)

सब क्लॉज़ (१४) पर भी कोई अमेन्डमेंट नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—है साहब, मेरा एमेंडमेन्ट है।

श्री सभापति—आपका है क्या ? श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—लिस्ट नं० ६ सीरियल नम्बर ६४ पर मेरा एमेन्डमेंट इस प्रकार है : Mr. Chairman, Sir, in Sub-clause (14) where the word 'sanctioned rent' occurs, I want that instead of 'sanctioned rent, 'settlement' should be substituted.

" 'grant at a favourable rate of rent' shall mean a grant at a rent which is less than the rent therefor calculated in accordance with the sanctioned rent-rates." 'Sanctioned rent-rates' really does not carry any meaning. It is always 'settlement rates', and, therefore, instead of 'sanctioned rent-rates,' 'settlement rates' should be there.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया– I accept the amendment.

श्री सभापति—सब क्लॉज़ (१४), क्लॉज़ ४, पर श्री बृजसुन्दर शर्मा का एमेन्डमेंट मिनिस्टर महोदय एक्सेप्ट करते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

यह संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि यह सब क्लॉज़ (१४), संशोधनानुसार, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज (१४), संशोधनानुसार, स्वीकृत हुआ।

(विराम)

सब क्लॉज नम्बर (१५), श्री बृजसुन्दर शर्मा।

Page No.35

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Mr. Chairman, Sir, the present sub-clause may be substituted by the following :—

"(15) 'Grove-Holder' shall mean, so long as the grove retains its character, a khatedar tenant or holder of khudkast who has a grove in whole or part of his holding and has got it registered with the Tehsildar."

The present definition of the 'Grove-holder' is very defective. According to it, it shall mean a person who has planted a grove on land which was let hut to oim for the purpose of planting a grove. It means that he has taken this land for the verv specific purpose of planting a grove. Whereas a Khatedar or holder of khudkasht plants who plants trees and wants that his land should be grove-land, then he has a right to plant trees. In the present amendment which I have moved, which says:—"so long as the grove retains its character" of course, it must retain a character of a grove-land- "a khatedar tenant or holder of khudkasht..."that means he also has a right to plant trees and have his land as a groveland. The same is the case of the khudkasht land; "...and got it registered with the Tehsildar" Now suppose he does it in future,-yet he has a right. He will get it registered with the Tehsildar and it will come under the definition of 'Grove-holder; As the present definition does not give those rights and as the definition, which I suggest gives rights to the khatedar tenants as well as khudkasht-holders, I am sure the House and the Hon'ble Minister will accept my amendment.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह जो माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट मूव किया है ऐसे तो ठीक ही है पर तहसीलदार के पास रजिस्ट्रेशन कराने और इसे प्राप्त करने में काश्तकार को काफी दिक्कत होगी और उन्हें इधर-उधर भागना पड़ेगा और इसमें भी अगर गलती रह जावेगी तो उसकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो इसलिये मैं यह कहता हूँ कि इसकी एक बहुत साधारण सी डेफीनीशन आप बना सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिये कि "'Grove-holder' shall mean a person who holds a grove-land,"

ऐसा होने से खातेदार है या क्या है आदि कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं रहेगी और "ग्रोव होल्डर' मीन्स वन हू होल्ड्स ए ग्रोव लेण्ड'। इसमें तहसीलदार के पास जाने की भी दिक्कत नहीं रहेगी। हां, अगर ग्रोव लैण्ड की डेफीनेशन नहीं होती तो कुछ हद तक श्री बृजसुन्दर जी ने जो कहा वह ठीक हो सकता था। चूंकि इसमें ग्रोव लैण्ड की डेफीनेशन दे दी गई है तो ग्रोव होल्डर की डेफिनिशन सिम्पल बन जाती है। यानि "ग्रोव होल्डर मीन्स वन हू होल्ड्स ए ग्रोवलेण्ड"। और इसलिए ग्रोव लेण्ड की डेफीनेशन कर दी गई है इसलिए इस एमेंडमेंट को मान लिया जावे तो सब दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय चेयर महोदय, इसमें मैंने जो एमेंडमेंट मूव किया है वह यह है:

Delete the whole clause and insert in its place the following: "Grove-holder' shall mean a person who has a right to hold grove land."

Page No.36

[श्री वेदपाल त्यागी]

जैसा कि माननीय जसवन्तसिंहजी ने कहा कि 'ग्रोव लैन्ड' का डेफीनिशन दे दी गई है, इसलिए इस 'ग्रोव होल्डर' के डेफिनिशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड नहीं बनाया जा सकता है और न बनाया चाहिए, और इसलिए जिस काश्तकार को ग्रोव लैण्ड होल्ड करने का अधिकार है वही ग्रोव होल्डर कहला सकता है। जो प्रेजेन्ट डेफिनिशन है इसको इसी तरह से रिटेन किया जाय तो बड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि ग्रोव लैन्ड एक काश्तकार के पास है वह दूसरे काश्तकार के पास जाय तो वह ग्रोव होल्डर नहीं कहला सकेगा; क्योंकि ग्रोव होल्डर वही कहला सकेगा, इसके मुताबिक कि जिसने अपने हाथों से वृक्षों को प्लान्ट किया है, मगर वृक्ष प्लान्ट होने के बाद अगर वह ग्रोव लैण्ड हैन्ड्स चेन्ज करता है, मालिक बदलता है, तो दुबारा जो मालिक बनता है वह ग्रोव होल्डर नहीं कहला सकता है। इसलिए ग्रोव होल्डर की डेफीनिशन इस तरह से होनी चाहिए जैसा कि मैंने सुझाव पेश किया है।

श्री भीमसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मैंने इसमें एक एमेंडमेंट पेश किया है और वह इसलिए पेश किया है कि इसमें जैसा कि त्यागीजी ने बताया कि ट्रान्सफर होने के बाद अड़चन आयेगी और थोड़ी सी पहले अड़चन यह आती है कि रजिस्ट्रेशन का चक्कर रखा है। मान लीजिये कि आज हम कानून पास कर रहे हैं और जिस शख्स ने अपने खेत में पहले से वृक्ष लगाये थे जिस वक्त कि यह कानून नहीं था और रजिस्ट्रेशन तो वह आदमी कराता नहीं है क्योंकि इसके साथ यह दिया हुआ है: 'on land which was let out to him for the purpose of planting a grove.'

इसलिए यह उसके ऊपर रखा है वह खास अड़चन की चीज है। मैं यह समझता हूँ कि इसको एक और भी तरह किया जा सकता है, क्योंकि सबक्लॉज़ (१६) के अन्दर यह 'ग्रोव लैन्ड' डिफाइन किया जा सकता है, इसलिए "Grove-holder" shall mean a person....." उसके आगे delete the existing sentence and after the word 'person' substitute the following for the remaining part:—

इस सारे को डिलीट करके उसकी जगह यह सब्स्टीट्यूट हो जाय 'who holds a grove-land as defined in sub-clause [16] of clause 4.,

उससे फिर से आगे जाकर चक्कर नहीं पड़े। राजस्थान में सबसे बड़ी बात यह आती है कि यहाँ राजस्थान में खाने-पीने के अन्दर विटामिन पहले ही नहीं होते हैं और फिर ऑरचर्ड प्लान्टिंग को और डिफिकल्ट करेंगे, उसमें जितना ज्यादा रेड टेपिज्म आयेगा, उतनी ज्यादा रुकावटें आयेंगी कि वह तहसीलदार के पास जाय; अगर कोई काश्तकार कोई आदमी, प्लान्ट लगाना चाहे तो वह रजिस्टर करावे, वह तहसीलदार की इजाजत ले और अर्ज मारूज करता रहे। इन चीजों को एन्करेज करने के लिए इस तरह के रेग्युलेशन जो कि रजिस्ट्रेशन वगैरह के हैं नहीं चाहिए। इस बात को समझकर जो मैंने एमेंडमेंट रखा है, मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी इसको मन्जूर करेंगे।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मैंने इस सब क्लॉज़ में तीन एमेंडमेंटस पेश किये हैं उन तीन एमेंडमेंटस का इस सब क्लॉज़ में समावेश हो जाने के बाद वह इस प्रकार से पढ़ा जायगा :—

"'Grove-holder' shall mean a person who has planted a grove on his own land or on land which was let out to him for the purpose of planting a grove and shall include a person who has purchased such grove."

आज जो मौजूदा यह सब क्लॉज़ जिस प्रकार से रखा गया है मैं यह देखता हूँ कि इसकी यह तारीफ शायद यू. पी. टिनेन्सी एक्ट से ली गई है और उसमें भी इसी प्रकार की तारीफ 'ग्रोव-होल्डर' की दी गई है। वह तारीफ इस प्रकार से है, जो दफा ५ में है—

"a person who has planted a grove on land which was let or granted to him by the land-lord for the purpose of planting a grove."

और दूसरा हिस्सा:—

"with written permission of the land-lord or in accordance with the local custom and so on.........shall be grove-holder of such grove."

हमने इस चीज की नकल यू. पी. के टिनेन्सी एक्ट से जरूर की है, लेकिन हमारे इस काश्तकारी कानून और यू. पी. टीनेन्सी एक्ट की पृष्ठभूमि में थोड़ा बहुत अन्तर है। वह अन्तर इस प्रकार से है कि वहाँ पर जो मौजूदा टीनेन्सी एक्ट है वह जिस वक्त लागू किया गया उससे पेश्तर वहाँ पर दो कानून इसी टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक लागू थे; एक आगरा और दूसरा अवध के नाम से। इसलिए वहाँ पर ऐसा प्रश्न आ नहीं सकता था कि 'ग्रोव होल्डर्स' कौन होंगे क्योंकि वहाँ जो पुराने एक्ट्स थे उनके अन्दर इस बात का समावेश हो गया था कि कौन व्यक्ति 'ग्रोव-होल्डर' कहलाया जायगा क्योंकि जिस वक्त आदमी 'ग्रोव-होल्डर' माना जाने वाला था तो वह पुराने कानून के तहत मान लिया गया था और इसलिए यू. पी. में जो टीनेन्सी एक्ट मौजूद है, और वह जब फोर्स में आया तो उसके समक्ष यह प्रश्न नहीं रहा कि किस आदमी को 'ग्रोव होल्डर' माना जाय और किसको नहीं, केवल इतना कहना ही उपयुक्त मालूम हुआ कि अब तक जिनको 'ग्रोव-होल्डर' कहते आए हैं वही भविष्य में भी 'ग्रोव-होल्डर' रहेंगे। लेकिन राजस्थान में दूसरी चीज पाई जाती है वह इस प्रकार से है कि यहाँ जितनी भी रियासतें राजस्थान में सम्मिलित हुई हैं उनमें सब जगह इस प्रकार के टिनेन्सी एक्ट लागू नहीं थे। कहीं पर थे और कहीं पर नहीं थे, और इस बात के लिए कोई धारा नहीं थी कि कौन सा आदमी 'ग्रोव होल्डर' कहा जायगा, और बहुत सी जगह कोई इसकी तारीफ ही नहीं थी। इसलिए इसमें किसी व्यक्ति को ग्रोव होल्डर, की तारीफ में लाना है तो निश्चित रूप से यह बताना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति 'ग्रोव होल्डर' होगा। हमारे लिए यह कहना कि जितने पुराने 'ग्रोव-होल्डर्स' थे वे माने जायेंगे, लेकिन यहाँ अब तक कोई 'ग्रोव-होल्डर' था ही नहीं, इसलिए खुलासा तौर से बताना पड़ेगा कि कौन-सा व्यक्ति 'ग्रोव-होल्डर' माना जायगा, और भविष्य में कौन-सा व्यक्ति 'ग्रोव-होल्डर' हो

[श्री जवानसिंह]

सकता है । इसलिए मैं यह खुले विस्तृत मैदान में रखता हूँ । इसकी छानबीन कर लें और उसमें पता लगायें कि कौन सा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको कि हम 'ग्रोव-होल्डर' मानें ।

पहला वह व्यक्ति हो सकता है जिसने कि पुरानी सरकार से अपने जमीन के ऊपर 'ग्रोव-लेन्ड' की इजाजत हासिल कर ली हो और उसके मुताबिक उसके ऊपर उसने 'ग्रोव' लगाया हो ।

दूसरा व्यक्ति वह हो सकता है जैसे कि जागीरदार कि जिसने अपनी निजी जमीन के ऊपर बिना सरकार की इजाजत के क्योंकि वह खुद ही अपनी जमीन का मालिक था इसलिए अपनी जमीन पर बिना किसी प्रकार की इजाजत हासिल किये हुए, अपनी जमीन के ऊपर एक ग्रोव लगाया है । वह भी अपनी जमीन पर उस वक्त उतना ही हक रखता था ग्रोव लगाने का जितना कि एक काश्तकार सरकार की इजाजत हासिल करने के पश्चात् ।

तीसरा वह व्यक्ति आता है जिसने कि अपनी जमीन पर बिना कानून की खिलाफवर्जी करते हुए ग्रोव लगाया है, सरकार की इजाजत हासिल करने के पश्चात् ग्रोव लगाया है, उससे ग्रोव को खरीदता है, तथा दूसरी परिस्थिति में भी वह खरीददार हो जब कि जागीरदार ने अपनी जमीन के ऊपर ग्रोव लगाया है और वह उसको खरीद लेता है । तो ऐसा व्यक्ति भी 'ग्रोव-होल्डर' हो सकता है ।

तीन तरह के व्यक्ति हमारे सामने आते हैं जिनका कि इसकी तारीफ में समावेश किया जा सकता है ।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह तारीफ ठीक नहीं है, पूरी नहीं है, इसमें सिर्फ यू. पी. के एक्ट की नकल जरूर की गई है, लेकिन जिस वक्त वह कानून सामने आया था तो वहाँ पर २ कानून पहले से लागू थे । वहाँ की स्थिति व्यवस्थापूर्वक थी । वहाँ स्थिति हमारे यहाँ सी नहीं रही है । इसलिए इसको ठीक तौर से ,सुचारु रूप से उस क्लॉज़ में 'ग्रोव-होल्डर' की तारीफ करें कि उससे सब लोगों को समझने के लिए उसके अन्दर पूरा करने के लिए खुलासा तौर से कह देना पड़ेगा कि जहाँ एक शख्स अपनी जमीन के ऊपर कानून के मुताबिक एक ग्रोव लगाता है और दूसरा वह जो सरकार से इजाजत हासिल करने के बाद ग्रोव लगाता है और तीसरा वह व्यक्ति जिसने दोनों से ग्रोव खरीदा है इसलिए इन तीनों व्यक्तियों को इजाजत देना है कि वे 'ग्रोव-होल्डर' कहलाये जायेंगे । इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है । मुझे आशा है कि इसको जरूर स्वीकार किया जायगा ।

Page No.39

श्री सभापति– श्री भैरोसिंह (वि० सं० १६)

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—इस डेफिनिशन के बारे में कई एमेंडमेंट मूव किये गये, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सिरोंज से आने वाले महानुभाव ने अमेंडमेंट मूव किया है उसको स्वीकार करने से बहुत सों का समष्टीकरण हो जाता है। दूसरे माननीय सदस्यों के एमेंडमेन्ट मन्जूर करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि आगे जाकर सब-टिनेन्टस को खातेदारी राइटस के लिये प्रोवीजन रखते हैं उसमें लैंड को एक्सप्लेन किया गया है। यदि नहीं होता है तो कहा जायगा खातेदारी राइट्स एक्वायर नहीं करता। इसलिए आवश्यक है कि हम रजिस्ट्रेशन को इसके साथ रखें और इसके अलावा जो डेफिनेशन है मैं समझता हूँ इससे स्पष्ट हो जाता है, इससे राइट्स स्पष्ट हो जाते है और जो 'ग्रोव-होल्डर' के बारे में हैं वह खातेदार टिनेन्टस की बात करते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है इसलिए मैं कहूँगा कि जो श्री बृजसुन्दर ने अमेंडमेन्ट रखा है उसको मैं स्वीकार करता हूँ और दूसरे एमेन्डमेन्टस को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री भीमसिंह—I don't want to press my amendment, Sir.

श्री जवानसिंह—क्योंकि मैंने जिस प्रकार का संशोधन पेश किया था उसका समावेश पुराने एमेंडमेंट में आ जाता है, इसलिये मुझे अपना एमेंडमेन्ट वापिस लेने की इजाजत दी जावे।

श्री वेदपाल त्यागी—I also want to withd raw my amendments.

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (१५), क्लॉज़ ४ में जो श्री वेदपाल ने एमेंडमेन्ट रखा हैं उसको विद्ड्रा करने की इजाजत दी जावे।

(स्वीकृत)

एमेंडमेन्ट विद्ड्रा करने की इजाजत दी गई ।

श्री वेदपाल त्यागी—I withdraw my amendment

श्री सभापति—क्या हाउस की इजाजत है कि श्री भीमसिंह ने जो एमेंडमेंटस पेश किये हैं उनको विद्ड्रा करने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

एमेन्डमेन्ट विद्ड्रा करने की इजाजत दी गई।

श्री भीमसिंह—I withdraw my amendments,

श्री सभापति—क्या हाउस की अनुमति है कि श्री जवानसिंह ने जो एमेन्डमेन्टस रखे हैं उनको विद्ड्रा करने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

एमेन्डमेंट विद्ड्रा करने की इजाजत दी गई ।

श्री जवानसिंह—I withdraw my amendments.

श्री सभापति—श्री बृजसुन्दर शर्मा ने सब-क्लाज़ (१५) में जो एमेन्डमेन्ट रखा है उसको मिनिस्टर इन्चार्ज ने मन्जूर कर लिया है । क्या हाउस की अनुमति है कि वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री शर्मा का संशोधन स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि सब क्लाज़ (१५) संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (१५) संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

उपखण्ड (१६), श्री शर्मा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Mr. Chairman, Sir, the amendment which I propose to move in this sub-clause is like this —

"Where the words 'any other purpose' occur I want that they should be substituted by the words 'any other agricultural purpose and."

[श्री वृजसुन्दर शर्मा]

This 'any other purpose is very wide. It means and includes all lands for being used for any purpose. If a cultivator wants to keep his bullocks and cattle there on the farm and constructs a shed; if he wants to keep a poultary farm there and for that keeps hens and cocks, he can't construct shelter for all these things. If we keep this 'any other porpose,' it will preclude anything, but if we limit it only for agricultural purpose then this definition will be a perfect one. It will mean, that land which may not be used for any other agricultural purpose will come under Grove-land; such purposes like raising of huts, some temporary shed, and some other purpose-then we can't be debarred from doing that thing. This is very simple and the Hon'ble Minister, I think will agree with me. Without it the definition is incomplete and it will be complete only if we add 'agricultural' word after the words 'any other.'

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, इस सब क्लाज़ (१६) में मेरा संशोधन बहुत ही सामान्य है। मेरा ख्याल है माननीय मन्त्रीजी इसे स्वीकार करेंगे । जैसे और दूसरी आगे आने वाली सब क्लाज़ (१६) व (३२) में जिस प्रकार इस 'and' शब्द को एक तरफ करने के पश्चात् होल्डर (holder) के आगे लगाया गया है उसी प्रकार इसके आगे भी आखिर में 'and' शब्द बढ़ाना ठीक होगा और वह 'the trees so planted shall constitute a grove' के पहले आयेगा। मैं मन्त्रीजी का ध्यान इसके सब क्लाज़ (१६) और (३२) की ओर दिलाना चाहूँगा। इसकी तारीफ की गई है, उसके आखिर में बढ़ा दिया गया है 'and an Ijaradar or Thekadar shall mean the person to whom an I jara or Thekea is granted. उप धारा (३२) में भी जहाँ पर रेन्ट फ्री ग्रान्ट की तारीफ की गई है उसके आखिर में भी 'एन्ड' शब्द है and the holder of such a grant shall be called a rent-free grantee.

तो मेरा ख्याल है कि इस शब्द 'एन्ड' को बढ़ाने में मन्त्रीजी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री सभापति—श्री एच. के. व्यास अपना एमेंडमेंट पेश करें।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—I have no objection in accepting both the amendments moved by Shri Brij Sunder Sharma and Shri Jawan Singh.

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लाज़ ४ के सब क्लाज़ (१६) के ऊपर श्री वृजसुन्दर शर्मा का संशोधन स्वीकार किया जाय।

[श्री सभापति]

(स्वीकृत)

श्री शर्मा का एमेंडमेंट स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री जवानसिंह का संशोधन भी स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री जवानसिंह का संशोधन भी स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (१६) स्वीकृत हो।

(विराम)

सब क्लाज़ (१६) स्वीकृत हुआ।

(विराम)

उपखण्ड (१७), श्री शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—My amendment is as under, for sub-clause (17) substitute the following —"'Highcourt' shall mean the High Court for the state of Rajasthan."

Mr. Chairman, Sir, this amendment is very formal. All the High courts in India have been established under the Constitution. Before this Constitution came into force, of course, in Rajasthan the High Court was establi-shed under the Rajasthan High Court Ordinance. But now the 'High Court' will mean the High Court of Rajasthan. High Court of Judicature for Rajathan. This is very simple and, I think, there should be no objection in accepting this definition. My amendment is that "'High Court' shall mean the High Court of Judicature for Rajasthan," instead of 'established by the Rajasthan High Court Ordinance, 1949 This is according to the Constitution.

श्रीमोहनलाल सुखाड़िया—I accept it.

Page No.43

श्री सभापति—सब-क्लाज़ (१७) के अन्दर श्री बृजसुन्दर का एक अमेंडमेंट है जिसको मिनिस्टर इनचार्ज स्वीकार करते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि सब-क्लाज़ १७, संशोधनानुसार, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब-क्लाज़ (१७), संशोधनानुसार, स्वीकृत हुआ।

सब-क्लाज़ (१८)

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, सब-क्लाज़ (१८) में मैंने यह निवेदन किया है कि जहाँ "होल्डिंग" की तारीफ जो है उसमें से "and shall include, in the Case of an ijaradar or thekadar, the ijara or theka area" शब्दों को एक्सक्ल्यूड कर दिया जाय।

मेरा ख्याल है कि मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह बहुत ही साधारण है, वैसे ही यह बहुत जरूरी भी है। इसका कारण यह है कि बहुत सी जगहों पर, पुरानी बहुत सी रियासतों में इजारे और ठेके देने का रिवाज था और वहाँ पर कोई एक होल्डिंग को इजारे पर दिया जाता हो या किसी एक परटीक्यूलर प्लॉट को ठेके पर या इजारे पर दिया जाता हो, ऐसी बात नहीं थी बल्कि गांव के गांव इजारे पर दिये जाते थे और दिये जा सकते थे और इस कदर गांव के गांव जो इजारे पर दिये जाते थे उन गांवों का रेन्ट इजारेदार या ठेकेदार वसूल करता था और इजारे की रकम रियासत में जमा कराता था। उन गांवो में से अब भी ऐसे दृष्टान्त मिलेंगे कि कई गांव अब भी इजारे और ठेके में हैं।

इस जगह होल्डिंग की तारीफ करते हुए इसमें अगर इजारे और ठेके का समावेश करते हैं तो उन गांवों को भी जो इजारे में और ठेके में दिये हुए हैं उन सबों को हम होल्डिंग मानते हैं, गांवों में चाहे कितनी ही जमीन हो उस तमाम भूमि को हम एक होल्डिंग मानते हैं चाहे उसमें कितने ही टेन्योर हों, होल्डिंग्ज़ हों। जहां तक ठेकेदार और सरकार का सम्बन्ध है उसके नाते ऐसे गांवों की सभी भूमि एक होल्डिंग में आयेगी और सरकार उसे एक होल्डिंग मानेगी।

वास्तविक रूप से देखा जाय तो यह ठीक मालूम नहीं होता। जहां तक एग्रीकल्चर और सरकार का ताल्लुक है तो इस तरह इजारे में दी हुई तमाम भूमि उस गांव की और ठेके में दी हुई

Page No.44

[श्री जवानसिंह]

उस गांव की तमाम जमीन को होल्डिंग के रूप में दिखाते हैं तो जो अधिकार कल्टीवेटर्स को देना चाहते हैं उनको न देकर शायद नहीं चाहते हुए भी असावधानी से ठेकेदारों और इजारेदारों को दे देंगे। इसलिए होल्डिंग की तारीफ की जा रही है। तो इसमें इन दोनों को सम्मिलित करते हुए इजारेदार और ठेकेदार को अधिकार नहीं देना है, लेकिन इस जगह इनका समावेश कर कर रहे हैं तो इससे हम उनको वे अधिकार नहीं देना चाहते हुए भी दे रहे हैं।

अतः मैं निवेदन करूंगा कि इन ठेकेदारों और इजारेदारों को होल्डिंग की तारीफ में न रखा जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय सभापति महोदय, मेरे मित्र ने जो यह ऐमेंडमेंट रखा है कि इजारे और ठेके को होल्डिंग की डेफिनिशन में न रखा जाय, यह आवश्यक नहीं है। इनको होल्डिंग की डेफिनिशन में से एक्सक्लूड करने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि होल्डिंग की डेफिनिशन में है कि:—

"..........and shall include, in the case of an ijaradar or thekadar, the ijara or theka area,"

इजारा एन्ड ठेका एरिया, इससे होल्डिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता; इस 'एरिया' शब्द के साथ जुड़ जाने से स्पष्ट हो जाता है, बजाय इसके कि कोई एक होल्डिंग हो इससे ज्यादा भी एरिया कवर हो जाता है। वह चीज तो इसमें आयेगी नहीं। इसको एक्सक्लूड करने से कोई लाभ की बात तो नजर आती नहीं। होल्डिंग में इसको रखना उपयुक्त है, इसलिये जैसा यह सब क्लॉज है वैसा ही इसे स्वीकृत किया जाय।

श्री जवानसिंह—मुझे दुख है कि न तो मेरी बात को माननीय मन्त्री महोदय ने समझने की कोशिश की और न माकूल उत्तर ही दिया। उन्होंने केवल इतना सा ही कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा इसलिये ऐसा नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि उनके पास बैठने से संशोधन स्वीकार किये जाते हों तो मैं वह तो कर नहीं सकता।

मैं दूसरी दफा फिर निवेदन कर दूं, इस ख्याल से कि अब शायद आपके ख्याल शरीफ में आ जाय। मैंने निवेदन किया कि जहां पर ठेका एरिया और इजारा एरिया के लिए होल्डिंग शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो गांव के गांव, इजारे ठेके में हो सकते हैं और इसके लिये होल्डिंग शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि होल्डिंग में इजारे और ठेके को इस्तेमाल किया तो इससे जो आप एग्रीकल्चरिस्टस को होल्डिंग का अधिकार देना चाहते हैं वह होल्डिंग की तारीफ में इजारे और ठेके का समावेश कर देने से होल्डिंग से मिलने वाले अधिकार जो कि आप काश्तकार को देना चाहते हैं वही अधिकार इजारेदार और ठेकेदार को दे रहे हैं।

[श्री जवानसिंह]

हमारी नीति साफ होनी चाहिए कि हमें इस कानून को एग्रीकल्चरिस्टस के फायदे के लिए करना चाहिये, राज्य और एग्रीकल्चरिस्टस के बीच में किसी आदमी को रखना नहीं चाहते ऐसी परिस्थिति में ऐसी नीति साफ हो जावे कि बाद में हमारे सामने ऐसा सवाल ही नहीं पैदा हो।

एक एक आदमी को इसी तरह कायम रखना चाहते हैं, इजारेदार इजारा और ठेका एरिया को भी इस तारीख में लेना चाहते हैं तो इसके यह माने होंगे कि आप एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन के जो अधिकार देना चाहते हैं वही अधिकार इजारेदार और ठेकेदार को भी देना चाहते हैं।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (१८) पर श्री जवानसिंहजी का जो एमेण्डमेन्ट है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

एमेन्डमेन्ट गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (१८) स्वीकार किया गया।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ १८ स्वीकृत हुआ।

(विराम)

उपखन्ड १९।

सब क्लॉज़ १९, श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह कि सब क्लॉज़ (१९) स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

सब क्लाज़ १९ स्वीकृत हुआ।

(विराम)

[श्री सभापति]

सब क्लॉज़ (२०), श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, चूंकि मेरा यह संशोधन उपखण्ड (१८) पर रखे गये मेरे संशोधन का कॉन्सीक्वेन्शियल है, और मेरा जो उपखण्ड (१८) पर संशोधन था उसे स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिये में यह उचित नहीं समझता कि मैं इस उपखन्ड में अपना संशोधन पेश करूं।

श्री सभापति—सब क्लॉज़ २०......

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, इसमें मेरा एक एमेन्डमेन्ट है।

श्री सभापति—हमारे पास आपका एमेंडमेंट नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—मेरे पास लिस्ट है उसमें दिया हुआ है।

श्री सभापति—कौनसा नम्बर है, सीरियल नम्बर ?

श्री चाँदमल मेहता—इसमें सीरियल नम्बर दिया हुआ नहीं है। लिस्ट मेरे पास है:—

"Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to sub-clause (20)...

श्री सभापति—जरा ठहरिये तो सही, तलाश करवा लिया जाता है।

श्री जवानसिंह—क्या उधर बैठने वालों और इधर बैठने वालों को अलग अलग लिस्टें दी जाती हैं ?

श्री सभापति—लिस्ट नम्बर २, श्री चाँदमल मेहता।

श्री चाँदमल मेहता—Mr. Chairman, Sir, I big to move the following amendment:—

"Insert the word 'embankment' between the words 'water channels' and 'and other works......' and add the following after the sub-clause, A work

Page No.47

[श्री चाँदमल मेहता]

which benefits several holdings may be deemed to be an improvement with respect to each holding."

माननीय चेयरमेन, इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन में दर्ज किया गया है कि :" ......and subject to the foregoing provisions of this clause, shall include—

(1) the construction of bunds, tanks, wells, water channels—

'Water Channels' के बाद में 'embankment' को जोड़ने के बारे में मैंने निवेदन किया है। जहाँ तक इम्प्रूवमेंट में सिंचाई का काम आता है उसमें "embankment" की भी जरूरत रहती है। यह सब दूसरे प्रान्तों के एक्ट में है; सिर्फ इसमें, जिसमें यू. पी. की यहाँ नकल की गई है, नहीं रखा गया है। इसको छोड़कर जितने भी एक्ट हैं उन सबों में एम्बैंकमेंट को रखा गया है और मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय को भी इस शब्द को रखने में कोई एतराज नहीं होगा।

इसके अलावा दूसरा मैंने एक्सप्लेनेशन जोड़ा है। यह इसलिये जोड़ा है कि अगर कई होल्डिंगज़ को फायदा होता हो तो दूसरों के लिये मान लिया जावे। इसलिये मैंने यह एक्सप्लेनेशन जोड़ा है और मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री को इसमें कोई एतराज नहीं होगा और न वे कोई ऐतराज करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि बन्ध में यह इन्कलूड होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बन्ध में आ जाता है। 'Water channel' means which allows flow of wateer and 'embankment' means a Bund which checks the water from flowing.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि—"the construction of bunds, tanks, wells, water channels and other works for the storage, supply or distribution of water for agricultural purposes," इसमें भी स्टोरेज ऑफ वाटर में कवर अप हो जाता है।

श्री चाँदमल मेहता—एक्सप्लेनेशन एड करने के बारे में जवाब देना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन, इसको जोड़ने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। "Improvement" की डेफिनिशन में जो हमने जोड़ा है उसमें सब आ जाते हैं। वह होल्डिंग

Page No.48

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

को भी कवर करता है। यह डेफिनेशन काफी वाइड है, इसलिये अलग डेफिनिशन की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

(स्वीकृत)

अमेन्डमेंट वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—श्री जवानसिंहजी ने अपना एमेंडमेंट मूव नहीं किया और दूसरा एमेंडमेंट श्री चाँदमलजी ने वापिस ले लिया। अब सब क्लॉज (२०) के बाबत राय ली जाती है। क्या सदन को यह स्वीकार है।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज २० स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब सब क्लॉज (२० ए) लिया जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन, मैंने जो तरमीम रखी है वह बिल्कुल साफ है। हमने एस्टेट होल्डर की डेफिनेशन में जागीरदारों को भी इन्क्ल्यूड किया है और इसमें एस्टेट होल्डर जो परमानेन्ट बेसिस पर रेन्ट सेटल करता हो उसको भी जोड़ा है। अगर हम इसमें एस्टेट होल्डर को रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति "who holds any interest, which can be temporary as well as permanent" इसलिये एस्टेट होल्डर की जगह जागीरदार मैंने एड करने के लिये अमेंडमेंट रखा है। यह चीज आम तौर पर तकलीफ देह है और रेन्ट परमानेन्टली सेटल जागीरदार ही कर सकता था। " 'Istamrardar' means the person with whom the Government or an Estate Holder has settled land revenue or rent on a permanent basis." एस्टेट होल्डर से यह डेफिनेशन बहुत वाइड हो जाती है। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा इन्ट्रेस्ट रखने वाला है वह भी एस्टेट होल्डर हो जाता है। उसको परमानेन्ट लगान लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पर्मानेन्टली लगान कोई कायम कर सकता था तो जागीरदार ही कर सकता था।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

Therefore, instead of the word 'Estate-holder' I want that the word 'jagirdar' be substituted. The word 'jagirdar' is very clear which will carry its meaning. The definition will be correct and clear by the word 'jagirdar' instead of the word 'Estate-holder'.

श्री चांदमल मेहता—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment :—

"Substitute the words 'shall mean' for the word 'means'."

इस एक्ट में जहाँ इसकी डेफिनेशन दी है वहाँ 'मीन्स' की जगह 'शैल-मीन' मैंने एड करने के लिये कहा है। ताकि कानून एकसी शक्ल में हो। इसलिये मैंने यह रखा है। इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री सभापति—श्री भैरूँसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, मैं जो संशोधन श्री बृजसुन्दरजी ने पेश किया है उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ।

यहाँ पर इस्तमरारदार की जो डेफिनेशन है उसमें इस वक्त तक काफी वाइड डेफिनेशन थी और इसमें सरकार तथा एस्टेट होल्डर दोनों को शामिल कर दिया था जिसने तमाम बातों का समावेश किया हुआ था। परन्तु अब इस संशोधन को प्रस्तुत करने के बाद उसका समावेश जागीरदारों में हो जाता है। मैं यह कहूँगा कि बिस्वेदार या जमींदार चाहे इस्तमरारदार थोड़ी जमीन का हो या ज्यादा जमीन का हो, फिर भी वह एक ही रास्ते के हैं और टेन्योर के रूप में आते हैं।

जैसा कि हम देखते हैं कि कम से कम जागीर लेन्ड कितनी ही हो, चाहे एक बीघा हो, चाहे आधा बीघा हो और चाहे एक हजार एकड़ हो, लेकिन उस जमीन के कम होने से उसकी तारीफ में फर्क नहीं पड़ता है, इसलिये यहाँ पर जैसी माननीय सदस्य ने दलील दी थी कि कम जमीन होने के नाते इसको तारीफ में लेना अनुचित होगा और ठीक नहीं मालूम होगा; मेरा खयाल है कि जमीन के कम होने या ज्यादा होने की तारीफ से सम्बन्ध नहीं है किन्तु हम उसको उस तारीफ से पुकारते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा। इन दोनों को यहाँ रखा जाय। एस्टेट होल्डर और जितने आदमी इसको उपधारा (२६) में दिये हुये हैं वे तमाम आदमी इसमें आ जाते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि सिलेक्ट कमेटी ने जिस प्रकार रिपोर्ट पेश की है उसी प्रकार होना चाहिये और जो संशोधन पेश किया गया है उसको मन्जूर नहीं करना चाहिये।

Page No.50

श्री बृजसुन्दर शर्मा—चेयरमेन महोदय की इजाजत से मैं निवेदन करूं कि जिस आदमी का किसी परमानेन्ट एरिया पर अधिकार हो . . . .

श्री चान्दमल मेहता—मन्त्री महोदय रिप्लाई देंगे या आप जवाब देंगे, या आप इसको दुबारा मूव कर रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—चूंकि अमेंडमेंट मेरा था इसलिये मैं इसको और साफ करना चाहता था।

श्री सभापति—बाद में कर दीजियेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस डेफिनिशन को पोस्टपोन करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। "shall mean' वाली बात भी है और 'जागीरदार' वाली बात भी तय करके ही रखा जाना उपयुक्त होगा।

श्री सभापति- सब क्लॉज़ (२० ए) को विचार कर फिर लिया जायगा।

(विराम)

सब क्लॉज़ २१ लिया जाता है। श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन, जो मैंने एमेंडमेंट मूव किया है वह स्पष्ट है।

" 'Jagirdar' shall mean the person recognised as the holder' " के बजाय यह 'Jagirdar shall mean the person recognised by the Government as the holder for the time being." होना चाहिये; वरना रिकोग्नाइज से कोई सेन्स नहीं है। कौन रिकोग्नाइज करेगा; 'recognised by the Government'; यह नहीं होगा तो यह इन्कम्प्लीट रह जायगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय सभापतिजी, मैं यह कहूँ कि मैं यह नहीं समझा कि यह फर्क क्यों रखा गया है तो अनुपयुक्त नहीं होगा। टिनेन्सी बिल और जागीर रिज़म्पशन एक्ट में जागीरदार की डेफिनेशन एक ही होनी चाहिये। जागीर रिज़म्पशन एक्ट में 'जागीरदार' की डेफिनिशन को सोच-विचार करके ही रखा गया है। दोनों का मतलब अलग-अलग नहीं होना चाहिये। जो 'जागीरदार' जागीर रिज़म्पशन एक्ट में माना गया है वही टिनेन्सी बिल में माना जाना चाहिये। मैं माननीय महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपा करके वे इस डेफिनिशन पर विचार करें। जागीर रिज़म्पशन एन्ड लेन्ड रिफोर्म्स एक्ट में जो 'जागीरदार' के लिए डेफिनिशन दी हुई है वह इस प्रकार से है: " 'Jagirdar' shall mean a person recognised as a jagirdar under any existing jagir law and includes a grantee of land from a Jagirdar."

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

जो श्री बृजसुन्दरजी फरमाते हैं वह इस डेफिनिशन से हल हो जाता है और दोनों कानूनों की डेफिनिशन भी एक हो जाती है। तो अगर 'जागीरदार' की डेफिनिशन पहले एक्ट में सदन द्वारा पास की गई है, यदि उसी माफिक होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—That is a better definition.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं भी इसको उपयुक्त समझता हूँ। जो जागीर रिजम्प्शन एक्ट में 'जागीरदार' की डेफिनिशन दी हुई है उसी को यहाँ एडोप्ट कर लिया जाय।

I accept that, Sir.

श्री सभापति—अब यदि श्री बृजसुन्दरजी अपना जवाब देना चाहते हैं तो दे दें।

(चुप्पी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे ला-जवाब हो गये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जो डेफिनिशन मेरे माननीय मित्र ने प्रपोज़ की है उसको देखते हुये मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—क्या इसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय?

(स्वीकृत)

एमेंडमेंट वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

(छींक)

श्री सभापति—छींक दिया है।

(हँसी)

यह एमेंडमेंट किसकी तरफ से मूव किया जायगा?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Unless an amendment is moved, how can it be accepted ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैंने इसके लिये कोई रिटन नोटिस नहीं दिया है। यह तो एक सुधार है। मुझे इस एमेंडमेंट को मूव करने की आप इजाजत दें।

श्री सभापति—इजाजत दे दी गई।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह एमेन्डमेंट इस प्रकार से होगा :—

" 'Jagirdar' shall mean a person recognised as a jagirdar under any existing jagir law and includes a grantee of a jagir land from a Jagirdar."

('ठीक है' इस प्रकार की आवाज)

श्री सभापति—क्लॉज ४ के सब क्लॉज २१, एमेंडमेंट डेफिनिशन जो कि राजस्थान रिजम्पशन आफ जागीर एक्ट के माफिक रहने के लिये श्री जसवन्तसिंहजी ने मूव किया और मिनिस्टर इनचार्ज आफ दी बिल इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या सदन की अनुमति है कि इसे एज अमेंडेड स्वीकार किया जाय ?

(प्रस्ताव स्वीकृत)

सब क्लाज (२१), संशोधनानुसार, स्वीकृत हुआ।

(विराम)

सब क्लाज २२, श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमैन महोदय, क्लाज ४ सब क्लाज (२२) में मेरा यह संशोधन है कि—"In lines two and three delete the words 'or any other kind of revenue'."

जागीर लेन्ड की जो परिभाषा इस बिल के अन्दर दी गई है, मैं समझता हूँ या तो नये कन्वेन्शन्स प्रचलित कर रहे हैं या उस पर पूरी खबरदारी न बरतते हुये यह परिभाषा रख दी गई है। मैं इस सब क्लाज (२२) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें यह लिखा है कि—" 'Jagir land' shall mean any land in which or in relation to which a Jagirdar has rights in respect of land revenue."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सबसे पहले तो मुझे यह बात कुछ अजीब सी मालूम हुई, माननीय चेयरमेन, कि लेण्ड रेवेन्यू के सिलसिले में अधिकार जागीरदार का कब से होने लगा? रेन्ट का अधिकार है उनको, लेकिन उनकी स्टेटस एकदम अचानक इस परिभाषा में ऐसी कब से बढ़ गई कि लेन्ड रेवेन्यू के अधिकारों को उनके अधिकार माने जायं, लेकिन अगर लेन्ड रेवेन्यू को नोन लीगल कोमनसेन्स की भाषा में इन्टरप्रेट करने की कोशिश करके भी इस परिभाषा को देखा जाय तो इसके आगे के कुछ शब्द हैं और वे ये हैं कि "or any other kind of revenue"

ये शब्द जोड़ने के बाद मुझे ऐसा मालूम होता है, जैसे जागीर रिजम्पशन एक्ट पास ही नहीं किया गया है। आज ये शब्द रखने से ऐसा प्रतीत होता है कि लंगड़े-लूले आगे चलने की बजाय पिछले बीस वर्षों में जो कुछ तरक्की हमने की है उससे पीछे घसीटने को तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की रेवेन्यू लेने के अधिकार 'स्टेट विदिन ए स्टेट' यह अठारहवीं सदी में १९ वीं सदी और बीसवीं सदी के कुछ जमाने की चीज कहते हैं। अब इस प्रगतिशील कानून में 'जागीर लेन्ड' की जो परिभाषा की गई है वह या तो कहीं से पुराने कानूनों से उठाकर रख ली है या जान बूझ कर रखी है। यह तो माननीय मन्त्री महोदय ही बता सकेंगे। मेरा तो सिर्फ इतना ही निवेदन है कि कम से कम यह परिभाषा तो न रखें जिससे, जो जागीर रिजम्पशन एक्ट हमने पास किया है और जिसमें हमे जिस रास्ते को मानने से इन्कार किया है वही रास्ता यहाँ रख लेते हैं। 'जागीर लेन्ड' के सिलसिले में "Any other kind of Land-Reveneue" का अधिकार है।

इसके साथ-साथ लागबाग आदि चीजें जोड़ने में ज्यादा कठिनाई होगी। मैं मानता हूँ कि यह वर्तमान सरकार की कतई मंशा नहीं होगी। इस वजह से मेरा निवेदन है कि मेरा एमडमेंट मान लिया जायगा। 'एनी अदर' रेवेन्यू ये शब्द हटा दिये जांय। 'लेन्ड रेवेन्यू' की एवज में 'रेन्ट' शब्द का प्रयोग कर दें। इन शब्दों के साथ में अपना एमेंडमेंट सदन की स्वीकृति के लिये और रेवेन्यू मन्त्रीजी की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मि० चेयरमेन, सर, political memories are proverbially short.

मेरे माननीय मित्र श्री एच. के. व्यास ने जो भाषण दिया है वह मुगालता डालने के लिये दिया है। आपने यह फरमाया कि यह परिभाषा किसी पुराने कानून से ली होगी। या मनगढ़न्त भाषा जोड़ ली होगी जो कि आउट आफ डेट है। मैं उनका ध्यान अभी हाल ही में जो भूमि सुधार का कानून हमने पास किया है वह राजस्थान लेन्ड रिफोर्म्स एन्ड जागीर रिजम्पशन एक्ट, १९५२ के नाम से है। यह कानून शायद पिछले महीने हमारे सदन द्वारा पास किया गया है। उस समय भी

Page No.54

[कु' श्री जसवन्त सिंह]

माननीय सदस्य उपस्थित थे। अगर वे भुलावे में न पड़ते तो जो 'जागीर लेन्ड' की डेफीनेशन उस कानून में दी थी वह हूबहू वैसी की वैसी डेफिनेशन यहां लगाई गई है। मेरी समझ में तो वह भूमि सुधार का कानून टिनेन्सी कानून एक्ट से एकाध कदम आगे ही जाता है। यह डेफिनेशन सोच विचार के बाद रखी गई है जागीरी एक्ट में भी और यहाँ भी। मैं यह ठीक नहीं समझता कि एक परिभाषा जो हमने पहले पास कर दी है उसी परिभाषा को अब बदल दें। पोलिटीकल मेमरी शोर्ट हुआ करती है इसलिये शायद माननीय मित्र वह भूल गये। इन शब्दों के साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मित्र अपना एमेंडमेंट वापिस लेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि 'एनी अदर काइन्ड आफ लेन्ड रेवेन्यू' रख देने से जागीरदार को फायदा होने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है कि अगर इन शब्दों को हटा देते हैं तो उनको कुछ मिल जायगा। 'जागीर लेन्ड' में तमाम में खेती हो रही है कुछ लेन्ड ऐसी भी हो सकती है जिन में जागीदार लेन्ड रेवेन्यू नहीं लेते हैं और किसी किस्म की रेवेन्यू लेते हैं मानलिजीये 'लैंड रेवेन्यू' नहीं लेते है तो सेस वगैरह लेते होंगे। अगर इसको शामिल न किया गया तो 'जागीर लेन्ड' 'जागीरी' लेन्ड' नहींहोगी और 'जागीर लेन्ड न होने से वह रिज्यूम नहीं होगा। किसी भी तरह से रेवेन्यू लेता हो अगर वह जागीर लेन्ड में आती है तो किसी किसान को नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिये मेरे मित्र से निवेदन करूंगा कि वे अपने एमेंडमेंट को वापिस ले लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन, जो डेफिनेशन मौजूदा शक्ल में हैं वह बहुत स्पष्ट है। वही जागीरदार कहला सकता है जिनका सम्बन्ध किसी लेन्ड रेवेन्यू से हो। इस जगह लेन्ड रेवेन्यू यह शब्द न होकर यदि रेन्ट रखा जायगा तो 'लेन्ड-होल्डर' और 'जागीदार की डेफिनेशन में कोई फर्क होगा। 'लेन्ड रेवन्यू' यह शब्द पिछली बार जब बहस हुई पिछले जो कानून बने उसके मुताबिक यहां पर भी लिया गया है। 'लेन्ड रेवेन्यू' किसी भी शक्ल में जो चाहे वह केश में हो या काइन्ड में। लेकिन दूसरी चीज यह है कि अगर हम 'लेन्ड रेवन्यू' की जगह 'रेन्ट' कर देते हैं तो 'लेन्ड होल्डर' और 'जागीरदार' में कोई फर्क नहीं होगा। 'लेन्ड होल्डर' और जागीरदार' में काफी फर्क इसलिये 'जागीरदार' की परिभाषा में भी फर्क रखना। इसलिये यह जो 'जागीरदार' की डेफीनेशन जागीर रिजम्प्शन एक्ट में दी हुई है वह न्यायोचित है, और उसी प्रकार यही रहनी

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (३३) रेवेन्यु की डेफिनेशन दी गई है "Revenue shall mean land revenue, that is to say, the annual demand payable directly to the State Government on any account whatsoever in respect of lend or of any interest in or use of land and shall in clude land revenue;"

इसका मतलब यह हुआ कि 'रेवेन्यू' की परिभाषा में 'लेन्ड रेवेन्यू' शामिल रहता है जो कि सरकार को साल में दी जाती है। इसलिये इस एक्ट में जहां 'जागीर लेन्ड' की परिभाषा में

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

'लेन्ड रेवेन्यू' रखते हैं तो पोजीशन कोम्पलेक्स तो जरूर हो जाती है। सेक्शन ३३ के अनुसार 'लेन्ड रेवेन्यू' वह चीज है, जमीन का वह फायदा, जो स्टेट गवर्नमेंट को सीधा दिया जाता है उसको 'लेन्ड रेवेन्यू' कहते हैं। 'जागीर लेन्ड' में हमने यह माना :

"'Jagir land' shall mean any land in which or in relation to which a Jagirdar has rights in respect of land revenue;"

इसका मतलब यह हुआ कि डाइरेक्ट कलेक्शन ऑफ 'रेन्ट' में डाइरेक्ट कलेक्शन आफ 'लेन्ड रेवेन्यू' माना तो वह 'लेन्ड रेवेन्यू' होगा। यह मतलब आपका नहीं फिर भी पोजीशन कम्पलेक्स जरूर हो जाती है। इसको माननीय मन्त्री महोदय स्पष्ट करें कि ३३ में जो डेफिनेशन दी गई है उसमें किसी प्रकार का deviation (फर्क) नहीं पड़ेगा। चाहिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयरमेन, मैं यह अर्ज करूँगा कि माननीय कपिलदेव जी ने जो फरमाया कि इस मौजूदा डेफिनेशन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आखीर में जो वर्ड पढ़ा है 'असाइन्ड लेन्ड रेवेन्यू'। वह भी 'लेन्ड रेवन्यू' जागीरदार को सौंप दी गई है जो धारा ३३ में इन्क्लूड है। 'लेन्ड रेवेन्यू' वाइड टर्म है उसमें 'असाइन्ड रेवेन्यू' भी शामिल कर दी है। 'असाइन्ड रेवेन्यू' के रख देने से कोई कॉम्प्लीकेशन पड़ने वाला नहीं है, जैसा कि आपका ख्याल है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सिलसिले में मैं भी दुबारा अर्ज कर सकता हूँ ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह--आपको राइट ऑफ रिप्लाई तो है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--राइट आफ रिप्लाई बाद में एक्सरसाइज़ करूं मैं ? जैसा वे ठीक समझें, मुझे तो इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति—आप मिनिस्टर महोदय का जवाब सुन लें तो इसके बाद बोल लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्वमन्त्री)—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं समझता हूँ कि जो एमेंडमेंट मूव किया गया है माननीय श्री हरिकृष्ण व्यास द्वारा, उस पर काफी बातचीते कहीं गई हैं, और मैं एक बात खास तौर से इस टीनेन्सी बिल को लेते समय भी कहना चाहूँगा कि हम कोई ऐसी बात न करें इसके अन्दर कि जो जागीर रिज़म्पशन एक्ट, जो हमने अभी पास किया है, उस पर एडवर्स असर हो क्योंकि इससे हम जो चेन्ज ला रहे हैं उससे उस पहले वाले बिल पर उलटा असर करती है, तो यह बात अच्छी नहीं होती। यह सदन एक चीज एक बार स्वीकृत कर ले और तत्काल दूसरी किन्हीं खास परिस्थिति के बगैर उसे बदलने का इरादा करे तो यह तो अच्छा नहीं।

श्री जवानसिंह—मेरा निवेदन करना यह है कि यही भावना इस पूरे बिल के समय भी रक्खी जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या कहा आपने, सुनाई नहीं दिया ?

श्री कुं० जसवन्तसिंह—आपने यह कहा कि यही भावना पास करते समय भी रक्खी जावे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं यही बात कह रहा था । तो जो डेफिनिशन जागीर रिजम्पशन बिल में है वही एग्जेक्टली इसके लिए रक्खी गई है । मैं समझता हूँ कि श्री जसवन्तसिंहजी और श्रीजवानसिंहजी ने जैसा कहा वैसे काम्प्लिकेशन हो जाने की भी कोई आशंका नहीं है और जैसा हमारे जोधपुर से आये हुए मित्र ने कहा कि लाग बाग आदि भी इसमें शरीक हो जावेंगी तो ऐसी भी कोई बात आप इसमें नहीं पावेंगे । हमारा मकसद तो इससे किसान का हित करने का है । वह बराबर सामने रहेगा और इसी बात को सामने रखते हुए इसको हमने जागीर रिजम्पशन एक्ट में माना है । ऐसी स्थिति में ऐसी चीज को इस स्टेज पर लाने से इसका परपज़ भी सर्व नहीं हो सकेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमैन, मेरे नीम के थाने से आने वाले माननीय मित्र ने एक बहुत मुद्दे की बात कही और उस बात पर भी, मुझे खेद है, गौर नहीं किया गया ।

आपने सब क्लॉज़ (३३) में 'रेवेन्यू' शब्द की परिभाषा को सुना और 'लेण्ड रेवेन्यू' का तात्पर्य, अर्थ, मतलब जो कुछ भी कहें, यह लगाया है कि जो 'इन रिलेशन टू लेण्ड' यह सीधी स्टेट को जाती है ।

"and sha ll include assigned land revenue."

यह शब्द मेरे माननीय मित्र ने जरा जोर से कहा तो मैं भी जोर से रिपीट करता हूँ कि 'एसाइन्ड लैण्ड रेवेन्यू' भी इस में इन्क्लूड है पूरी परिभाषा में । अगर इसके मुताबिक चलें तो: Jagirdar has no right of land revenue but he has a liability to pay land revenue. अजब किस्म की डेफिनिशन बन रही है । कुछ समझ में नहीं आ रहा है । जागीर रिजम्पशन एक्ट में जागीरदारी खत्म करने के सिलसिले में जिन्होंने कुछ स्वीकार की हैं बातें तो, अब ऐसी परिस्थिति में जब कि Jagir as Jagir एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए या जो कुछ समय बाद एग्जिस्ट नहीं रहने वाली है तो उसके लिए अब हम यह परिभाषा बना रहे हैं कि पूरे का पूरा लैण्ड का रेवन्यू लैण्ड से सम्बन्ध रखने वाले को देने का आप अधिकार देंगे कि—

"'Jagir land' shall mean, in respect of jagirdar, land in which the jagirdar has right of land revenue." तो मैं कहूँगा कि एक चप्पा जमीन के लिए the Jagirdar has no right of land revenue but he has a liability to pay land revenue. 'एसाइन्ड रेवेन्यू' का अर्थ है कि स्टेट उसको लैण्ड रेवेन्यू के रूप मेंनिश्चित रकम देती है और उसे यह अधिकार मिलता है कि वह किसान से लगान ले सके। There is no where in the world any system where land revenue is a right given to an estate-holder or Jagirdar. Land Revenue s the right of the state and land revenue the liability of the Estate-holder or the jagirdar and when we see that the jagirdar has a right in respect of land revenue or any other kinds of revenue it means we are trying to create (it may not have so much legal effect) a State within the State, where the Biswedar shall collect revenue and other kinds of land revenue. It is impossible. तो मुझे यह नहीं समझ में आया कि लैण्ड रेवेन्यू के बारे में सब क्लॉज़ (३३) में दी हुई है । उसको आप मुझे समझा दीजिये कि किसके बारे में कानून यह कहने जाता है । whether it is theoretically conceivable of feasible that in respect of this land the Jagirdar has a right of land revenue ?

Page No.57

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अगर ऐसा आप मुझे बतादें तो मैं तुरन्त अपना एमेन्डमेंट वापिस लेने को तैयार हूँ, और अगर नहीं तो, एक्सेसिटी इसमें डालकर कम्प्लीकेशन अवोइड करना चाहते हैं तो वह कम्प्लीकेशन अवोइड होगी नहीं, वह तो और पैदा होगी।

इसमें कुछ लोग कहेंगे कि यह राइट हमारा रिकग्नाइज़ कर लिया गया है। तो फिर इसका क्या नतीजा होगा? तो इसलिए आप गम्भीरता से सन्जीदगी से सोचकर निर्णय करें।

"In respect of land, the right of land revenue or any other kind of land revenue."

इस प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल में न लावें तो बेहतर है। पर न मानें तो उनकी मरजी है। पर मेरा ख्याल है कि अगर आज उनके समझ में नहीं आ रही है यह बात वो आइन्दा इसको समझने का मौका आवेगा। तो let it go on record कि इस सदन में भी समय पर कही गई थी सरकार को यह बात, पर उस समय इसको माना नहीं गया। मैं इसको वापिस नहीं ले रहा हूं। आप इस पर मत लेलें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन महोदय अभी हमने...

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर हमारे माननीय मन्त्री महोदय राइट आफ रिप्लाई एक्सरसाइज़ करेंगे तो मैं भी फिर, I shall all have a right of reply.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I am not replying to that. I simply want to say कि आपने जो लीगल आपत्ति उठाई है उसके बारे में उसको सुनने के बाद भी मैं अपनी राय में रद्दोबदल करना आवश्यक नहीं समझता। पर फिर भी इसके लीगल आस्पेक्ट को एग्ज़ामिन कराने के लिए इसे रोक सकता हूँ और इसके बाद इस पर फाइनल डिसीजन कर सकते हैं।

श्री सभापति—तो इस पर मत नहीं लिए जावें।

यह सब क्लाज '२२' है। इस पर श्री हरिकृष्ण व्यास का एमेन्डमेंट है। इस पर फिलहाल मत पोस्टपोन किया जाता है, ऐसी सम्बन्धित मन्त्री महोदय की राय है।

(विराम)

अब सब क्लॉज (२३) लिया जाता है। श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन महोदय, सब क्लाज (२३) में मेरा संशोधन यह है:

"Delete the present sub-clause (23) and substitute in its place the following:—

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"(23) 'Khudkasht' shall mean any land cultivated personally by an estate-holder and in which he partakes of essential labour."

पिछले दिन जब हम इस सैक्शन पर, परिभाषाओं पर बहस कर रहे थे तो 'पर्सनल कल्टीवेटेड ग्रौर खुदकाश्त' इस प्रकार की जो चीजें थीं उनमें यह बार-बार कठिनाई आई थी कि पर्सनल कल्टीवेटेड लैंड अथवा विशेष रूप से जिसका नाम हमने खुदकाश्त रक्खा है तो इसकी परिभाषा कैसे की जावे, और जो पहले कहा था वही फिर से कहूँगा कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट में यह परिभाषा कर दी गई है, और अब इस परिभाषा को बदलने की आवश्यकता नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I am glad you are......

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am referring to it in advance, lest the objection may be raised over and over again.

तो मैं यह अर्ज करूँगा कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट में जो परिभाषा की गई है अब वह सही थी या गलत थी यह अलग बात है पर फिर भी जो है उसके बावजूद इसमें तब्दीली करने की आवश्यकता नहीं, और क्यों ?

इसलिए वह जागीर रिजम्प्शन एक्ट एक दिन एक मोके पर at one moment it will terminate. Resumption होगा jagirका, अमुक चीज अमुक खाते में रखी जाय, अमुक चीज पर अमुक खर्च किया जाय यह काम भी जागीर रिजम्पशन एक्ट करे और वह काम होने के बाद उस प्रथा के रूप में, कोई न कोई रूप में यह चीज वैसी ही खत्म हो जायगी। टिनेन्सी एक्ट जिसको कि आज हम बना रहे हैं यह न केवल आज लेकिन भविष्य में आने वाले वर्षों में लगातार एक प्रकार से किसान और भूस्वामी और दूसरे प्रकार से किसान और राज्य तथा भूस्वामी, राज्य और किसान इस प्रकार के जो आपस के संबंध हैं और इस संबंध में लगातार काम करने वाली चीजें हैं उनको गवर्न करने वाला यह कानून है। इस वजह से मुमकिन है कि जैसे कि इसने आज जो जमीन खुदकाश्त करार कर दी लेकिन कल वह खुदकाश्त गिनी जाय या नहीं गिनी जाय तो कौन करेगा ? जागीर रिजम्पशन ऐक्ट तय नहीं कर सकेगा लेकिन इस बात को तय करेगा टिनेन्सी एक्ट। यह एक परमानेन्ट किस्म की चीज है, लगातार रिश्ता बनाये रखने वाली चीज है। तो अब इस दृष्टिकोण से परिभाषा को बनाना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से परिभाषा बनाते हैं तो कौनसा उसूल हो जिस उसूल के आधार पर यह परिभाषा बनाना चाहते हैं। चाहे वह काश्तकार और खातेदार के बीच में हो या सब टीनेन्ट के बीच में हो, चाहे जागीरदार और या सब टिनेन्ट के बीच में हो टिनेन्ट के बीच में हो चाहे इस्वेदार और उसके सबटेनेन्ट के बीच में हो लेकिन यह ऐसी परिभाषा होनी चाहिये जो कि उसूलन सिलसिले से जमीन के संबंधों को तय करे लेकिन वह परिभाषा तरह-तरह के तरीके की बनाते हैं। कभी कभी यह बनाते हैं कि जो खुद खेती करे या अपने रिश्तेदार के जरिये खेती कराये या कोई एजेन्ट रखकर कराये या कोई मेनेजर रखकर कराये या नौकर-चाकर रखकर अपने सुपरवीजन में या दूसरे के सुपरवीजन में कराये इस चीज को प्रतिपादन करने की कोशिश की है। जिस तरह जहां तक हो सके इस परिभाषा को संकुचित रखा और जरूरत

[श्री हरि .ष्ण व्यास]

पड़ी, पर वहां एक्सेप्शन के दरवाजे भी खोल दिये। इन अड़चनों से राज्य सरकार को निकालना चाहिये अपने आपको और वह निकाले न निकाले वह बड़ी बात है या छोटी बात है लेकिन किसानों को इन अड़चनों से निकालना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ चन्द शब्द जोड़े हैं अपने एमेन्डमेंट में जो कि सारी की सारी अड़चनों को रफा कर देते है और वह शब्द यह है कि वह खुद न सिर्फ जागीरदारों के लिए लागू होगा लेकिन वह खातेदारों के लिए भी लागू होगा जिनके नाम केवल खातेदार की तरह पर दर्ज हैं, जो असल में काश्त नहीं करते हैं इधर-उधर रहते हैं और काश्त करते हैं दूसरे लोगों से यह बिस्वेदारों पर लागू होगा, यह हर एस्टेट-होल्डर पर लागू हो। मैं तो यहां तक कहता हूँ कि खातेदार मुस्तेदार यानी जो जमीन में पैदावार के सिलसिले में कुछ अपना योग नहीं देता है और केवल एब्सेन्टी लेन्डलार्ड के रूप में जमीन का उपयोग करना चाहता है इस पर भी। इसलिए मेरे कुछ मित्र एतराज न हों कि वह केवल एक ही प्रकार के लोगों के लिए लागू होगा। जमीन के सिलसिले में जो-जो लोग उसकी तारीफ में आते हैं उन सब के लिए लागू होता है। वह क्या शब्द हैं वह शब्द हैं "they must partake of essential labour" वही खुद काश्त, वही परसनल कल्टी-वेशन में गिना जाय या खुदकाश्त गिना जाय कि जिस आदमी के रिलेशन में यह परिभाषा लागू करते हैं वह पारटेक करता है एसेन्शियल लेबर में किसी न किसी रूप में वह इस पैदावार के कार्य में भाग लेता है हिस्सा लेता है वह एसेन्शियल लेबर देता है या नहीं। केवल सुपरविजन करता है यह भी जरूरी नहीं। केवल उसका ही एसेन्शियल लेबर हो, उसके सहयोगी का भी हो सकता है घर के लोगों का भी हो सकता है कभी कभी कुछ फार्म हेन्डस को भी बुलाकर कार्य करा सकता है, लेकिन यह आवश्यक होना चाहिए वह खुद भी एसेन्शियल लेबर में कॉन्ट्रीब्युट करे। एग्रीकल्चर ऑपरेशन के अन्दर अगर वह नहीं करता है तो वह चीज 'खुदकाश्त' नहीं गिनी जाय तो वह चीज 'लेन्ड परसनली कल्टीवेटेड' नहीं गिनी जाय। यह उसूल है जिसका प्रतिपादन मैंने अपने एमेन्डमेंट में किया है। इस परिभाषा में जितने परम्यूटेशन और कम्बीनेशन्स की जरूरत पड़ती है वह सब एलिमिनेट हो जायेंगे। वह इस वजह से एलिमिनेट हो जायेंगे कि हम रेवेन्यू कोर्ट की तरह से तय कर पायेंगे कि कौन ऐसा है जो कि दरअसल में खेती करता है? इस मायने में लेबर देता है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में। कौन ऐसा है जो केवल बगैर लेबर के जमीन के सिल-सिले में एब्सेन्टी राइटस अख्त्यार करते हैं। उसमें मेनेजर-वेनेजर के जरिये खेती करवाना कट जायगा। अगर वह फार्म हेन्डस एम्प्लोय करता है तो वह नहीं हटेगा, कभी नौकर रखकर काम करवाता है तो यह नहीं हटेगा। दूसरों के लेबर के साथ-साथ अपना 'एसेन्शियल लेबर' भी कन्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन केवल नौकर के जरिये या दूसरों के जरिये खेती करवाने वाला है तो वह जरूर कट जायगा, क्योंकि उसमें एसेन्शियल लेबर पारटेक नहीं होता है।

काफी विचार करने के बाद इन चार शब्दों में अड़चन परेशानियों को हल करने का नुस्खा प्रस्तुत किया है और दरअसल में 'खुदकाश्त' और लेन्ड 'कल्टीवेटेड पर्सनल्ली' के जो झगड़े रोजाना आते हैं उनसे बचना चाहते हैं तो मेरा यह निवेदन है कि मेरे इस संशोधन को मान लिया जाय; नहीं तो खुदकाश्त और लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनल्ली जो है वह नाममात्र का रह जायगा, और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दरअसल में वह आज की ही हालत में बनी रहेगी, यानि किसी प्रकार से जमीन के कुछ काम में हिस्सा लेते नहीं हैं शहर में रहते हैं। जमीन अपने नाम करवा ली है। वह देखभाल करते हैं या मेनेजर से या इस प्रकार के किसी से करवाते हैं। यह सब चीजें एलिमिनेट हो जायेंगी। यह मेरा दृष्टिकोण है। मेरा यह ख्याल है कि यह उचित और वाजिब दृष्टिकोण है। इसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना यह एमेन्डमेंट सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

कु० श्री जसवन्त सिंह— मिस्टर चेयरमेन, सर, माननीय सदस्य जो जोधपुर से आये हैं उन्होंने दो बातें एक साथ लेने की कोशिश की है। एक तो 'खुदकाश्त' और दूसरा 'लेन्ड पर्सनल्ली कल्टीवेटेड' का सवाल है। बहतर था कि इस वक्त 'खुदकाश्त' पर जो कुछ कहना था वह कहते और पर्सनली कल्टीवेटेड का सवाल थोड़ी देर बाद आता। मैं यह निवेदन करूंगा, मिस्टर चेयरमेन, सर, कि 'खुदकाश्त' एक तो टेक्निकल डेफिनिशन अपने आपको कर चुकी है। कुछ टेकनिकल नाम बन जाते हैं जिसके मायने एक ही होंगे चाहे आप किसी जगह और किसी मौके पर उनका इस्तेमाल करें, लेकिन जब एक शब्द टेक्निकल मीनिंग एक्वायर कर लेता है तो उसका हर स्थान पर एक ही मायना होता है। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि 'खुदकाश्त' को एक टेकनिकल मायने में समझने लगे हैं। वह 'खुदकाश्त मैं कहना चाहता हूँ कि जागीरदारों के लिए ही लागू हो जाता है जैसा कि टिनेन्सी एक्ट की सिलेक्ट कमेटी में जागीरदारों को एस्टेट होल्डर में रख दिया जिससे कि उसमें बिस्वेदार और इस्तमरारदार भी शामिल कर लिये जांय, लेकिन इस वक्त इस एक्ट के लिए 'खुदकाश्त जागीर एबोलिशन एक्ट, जिसमें कि इसका हवाला दिया गया है वह धारा २३ (२) में 'खुदकाश्त' स्पष्ट रूप में जागीरदारों के लिये ही लागू है। फिर भी मैं यह कहूँगा कि 'खुदकाश्त' टर्म एक टेम्पररी टर्म है। यह हमेशा के लिए इस मायने में लागू नहीं होगा। जब तक जागीर रिज्यूम नहीं हो जायगीं तब तक 'खुदकाश्त' एक टेक्निकल मायने रखेगा। जब जागीरें रिज़्यूम हो जाँयगी और ख्याल ऐसा ही किया जाता है कि १५ तारीख तक पांच हजार से ऊपर की जागीरें रिज़्यूम हो जायगी, उसके बाद में गवर्नमेंट एडमिनिस्टेटिव कन्वीनियन्स के मुताबिक दूसरी जागीरें जैसा कि हमने कानून में पास कर लिया है रिज्यूम हो जायंगी और बाकी की जो जागीरें हैं वे भी सब रिज़्यूम हो जायगीं। तो यह 'खुदकाश्त' टर्म अपने आप डिसएपियर हो जायगा और 'खुदकाश्त' रखने वाले जो जागीरदार हैं वह एक खातेदार टिनेन्ट हो जायेंगे। तो यह टेम्परारी एक टेक्निकल मीनिंग ऐक्वायर कर चुकी है। टर्म 'खुदकाश्त' इसलिये, इसके मायने आप अलग इस वक्त इसमें नहीं लगा सकते हैं। जो कि लेंड रिफार्म्स एन्ड जागीर रिजम्शन में मायने हैं वही मायना इसमें लगाना पड़ेगा। यह दोनों डेफिनिशन अलग नहीं हो सकती एक ही टेकनिकल टर्म के लिये। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे माननीय सदस्य जो जोधपुर से आये हैं, वे एक पर्टीक्यूलर प्वाइन्ट आफ व्यू को ही एक दृष्टिकोण को ही रिप्रेजेन्ट करते है, और उस दृष्टिकोण के मुताबिक हो सकता है कि बराबर किसी किस्म के सिद्धांत से वे इसका विरोध कर रहे हों। उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिये।

(हँसी)

Page No.61

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

मैं समझता हूँ यदि वे सदन से बाहर हम से बात करेंगे तो मित्र की तरह से करेंगे लेकिन यहाँ उनको अलग केपेसिटी में बोलना होता है तो इसका विरोध करना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। इसके लिए हम उनको दोषी नहीं कह सकते क्योंकि वे एक अलग तरह के दृष्टिकोण के रिप्रजेन्टेटिव हैं। इसलिए उनकी बात को सीरियसली न लेकर, खुद काश्त के मुतल्लिक वही बात रखी जाय, क्योंकि वहाँ एक मतलब एग्री कर चुके हैं। मौजूदा डेफिनेशन है उसके बारे में भी मैं यह निवेदन करूंगा कि यह डेफिनेशन जो मौजूदा टिनेन्सी बिल में लाये हैं वह उससे भिन्न नहीं होनी चाहिये जो हम जागीर रिजम्पशन बिल में पास कर चुके हैं। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिये।

श्री हरिदत्त—माननीय सभापति, खुदकाश्त के बारे में जो एमेंडमेंट दिया जा रहा है उसका मैं समर्थन नहीं करता। उसका कारण यह है कि यह टेक्निकल टर्म है जो आज तक इस्तेमाल में आती रही है। भविष्य में भी इसको इसी तरह से देखा जायगा। हम नई डेफिनेशन नहीं बना सकते, वही डेफिनेशन रहेगी जो अब तक मौजूदा है। आयन्दा आने वाले मुकद्दमों का फैसला उन्हीं के आधार पर किया जायगा। 'जागीरदार,' 'जागीर लेण्ड,' 'खुदकाश्त' आदि ये टेक्निकल शब्द हैं:—which carry a particular sense behind them, and they effectively retain the form uptil now.

इस डेफिनेशन में किसी तब्दीली की जरूरत नहीं है। अलबत्ता 'Jagirdar' को सिलेक्ट कमेटी ने 'एस्टेट होल्डर' किया है। और जगहों में तो 'खुदकाश्त' जागीर की लेन्ड होती है लेकिन भरतपुर में 'एस्टेट होल्डर्स' हैं इसलिए साफ कर दिया जाय तो अच्छा हो "A jagirdar or an estate-holder." जहाँ जमींदार एस्टेट होल्डर हैं वह भी कवर हो जाय और राजस्थान के दूसरे हिस्सों में जहाँ जागीरदार है वह भी कवर हो जाय, ऐसा होना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव—मेरा ऐसा विचार है कि लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली के लिए जो श्री एच. के. व्यास सजेशन रख रहे हैं वह उनको एमेंडमेंट इस तरह रखना चाहिए कि "कल्टीवेटेड पर्सनली" की तारीफ करते समय यह रखना चाहिये कि हाथ से लेबर करे तो "कल्टीवेटेड पर्सनली" होगा।

श्री हरिदत्तजी ने कहा कि यह टेक्निकल टर्म है यह बिल्कुल सही है। इसका टिनेन्सी के ऊपर खास असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि खुदकाश्त टिनेन्टस जो है वे इसमें मान लिए गए हैं। उनको करीब-करीब सब-टिनेन्टस का दर्जा दिया गया है और सब-टिनेन्टस के तमाम राइटस उनको दे दिये गये हैं। जहाँ तक राइटस का सवाल है उसमें आ जायेंगे। लेकिन फिर भी मैं श्री एच. के. व्यास को सुझाव देता हूँ कि वे अपने इस एमेंडमेंट को वापिस ले लें और इसको इस तरह से कर दें:—

Page No.62

[श्री गोपीलाल यादव]

"'Khudkasht' shall mean any land cultivated personally by an estate-holder." बाकी खत्म, इससे उनका मतलब हल हो जाता है।

दूसरी बात मुझे यह बतानी पड़ेगी कि जिस वक्त यह तारीफ बनाई गई थी उस वक्त 'खुदकाश्त को हटाकर 'एस्टेट-होल्डर' रखने का सुझाव दिया गया था और इसे रख भी दिया था, लेकिन जब आगे पहुँचे तब नई चीज सामने आई और यह तय किया कि 'एस्टेट-होल्डर' को हटाकर 'जागीरदार' रखना चाहिये। वह किसी तरह से रह गया। 'एस्टेट होल्डर' एक दफा रखा गया फिर हटाया गया। यहाँ पर जागीर कमिश्नर आदि मौजूद हैं उनसे सलाह करके इसको ठीक कर लिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—'जागीरदार' 'एस्टेट-होल्डर' के बजाय रखा गया है। जो एस्टेट होल्डर हैं वे जागीरदार हैं। 'एस्टेट-होल्डर' इन्क्लूडस 'जागीरदार'। आप कह रहे हैं, वही बात है।

माननीय चेयरमेन महोदय, जैसा कि अभी हमारे मित्र माननीय यादव साहब ने कहा कि ये दोनों सब क्लॉज़ २३ और २५ एक दूसरे से सम्बन्धित है और बग़ैर एक दूसरे के इन्डिपेन्डेन्टली किसी को पेश नहीं किया जा सकता। 'लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली' यह एक्चुअली 'खुदकाश्त' की डेफिनेशन है और 'खुदकाश्त' का अंग्रेजी में मतलब 'लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली' है लेकिन जैसा कि एक मित्र ने कहा कि हमारे राजस्थान में खुदकाश्त टेक्निकल टर्म है और जो डेफिनेशन दी गई है उसमें साफ डिफाइन किया गया है। जागीर रिज़म्पशन एक्ट में भी इसी तरह किया गया है। लेकिन साथ के साथ यह भी कहा गया गया है कि यह टेम्पोरेरी फेज़ है। जागीर रिजम्पशन हो रहा है। खुदकाश्त की जमीन जिनके पास है उनके पास रहती चली आयगी। उनको टिनेन्टस माना जायगा तो इस डेफिनेशन को जैसी है उसी तरह रहने देने में, परमानेन्टली रहने देने में मुझे आपत्ति है इसलिए मैंने सिम्पलीफाई करने के बाद "सीर" और "हवाला" जो "held as KhudKasht" के बाद है उनको तरमीम करने का एमेंडमेंट दिया है।

हमारे यहाँ पर "हवाला", का मतलब अलग अलग है। बूंदी में हवाला से मतलब यह है कि वह जमीन जिसमें बैल अपना रखे, हल अपना रखे और उनसे काम करे; तब कहा जाता है कि हवाला कायम किया। जोधपुर मारवाड़ में हवाला का मतलब यह है कि जागीर लैंड in relation to Jagirdar के अलावा जो खालसा लैंड होती है वह हवाला होती है and in relation to tenants or Khatedar, jagirdar की सारी लैंड वह हवाला लैंड होती है। इस शब्द के रहने से ख्वामख्वाह उलझन बढ़ती है। यह जब साफ हो जायगा तो 'held as Khudkasht' काफी होगा। यह डेफिनेशन उसको भी कवर कर लेगी। उसमें दिया है 'रेकर्डेड एज खुदकाश्त' 'सीर एन्ड हवाला' वह इस वक्त रेकर्डेड हो चुकी है और उस वक्त होगी वह अपने यहाँ हो जायगी। इसलिए सुझाव है कि जहाँ "सीर" और "हवाला" शब्द हैं उनको हटाकर "held as Khudkasht at the comm-

Page No.63

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

encement of this Act" सिम्पल डेफिनेशन हो जाती है और किसी तरह की उलझन नहीं आती। यदि हवाला रखते हैं तो उसके बहुत सारे मतलब होंगे, और तरह तरह के मतलब होंगे जो काम्प्लीकेशन बढ़ाने वाले होंगे। इसलिए मैं यह पेश करना चाहता हूँ कि "सीर" और "हवाला" शब्द का रिमूव करना चाहिये। पहले हमको लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली "वाला डेफिनेशन है उस पर हाउस में विचार करके उसके साथ साथ यह भी तरमीम कर देनी चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, मैंने संशोधन इस प्रकार से रखा है कि इसका आशय राजस्थान लेन्ड रिफोर्म्स एन्ड जागीर रिजम्प्शन एक्ट ओफ १९५२ में जो 'खुद काश्त' शब्द की तारीफ है वही यहां भी ली जाय। और जैसा कि इस कानून में अभी थोड़ी देर पहले ही सीरोंज से आये हुए मेरे माननीय मित्र ने इसमें एक संशोधन रखा था कि जहाँ पर सीर और हवाला लैंड को लगाया वहाँ एज़ रेकर्डेड इन सेटलमेंट रखा। वह संशोधन सदन में पेश हुआ और मंजूर हुआ था और इसके बाद वही सदस्य इस शब्द खुदकाश्त की तारीफ करते हुए टेनेन्सी एक्ट में अपने उन शब्दों से पीछे जाकर और दूसरी तारीफ कराना चाहें, इस काश्तकार बिल में तो यह बहुत अनुचित चीज होगी और जो उन्होंने पहले अपना संशोधन पहले पेश करते हुए कहा था वे उसके विपरीत कर रहे हैं।

दूसरे मैं इस प्रवृत्ति को नहीं समझ पाया कि हमने एक ही शब्द की तारीफ जो जागीर रिजम्प्शन एक्ट में की है 'खुदकाश्त' की और अब इस कानून में उसकी तारीफ से भिन्न, दूसरी तारीफ करने जा रहे हैं, जब कि निश्चित है कि खुदकाश्त के माने वही होंगे जो कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट में होंगे। तो मैं नहीं समझ सकता कि यह जो संशोधन पेश किया जा रहा है, चाहे उस कानून को हमारी मर्जी के विपरीत पास किया है, पर चूँकि अब वह कानून है, और किसी कानून की परवाह पूरी तरह से की जानी चाहिये तो यह उचित नहीं होगा कि इस तारीफ में किसी तरह की रद्दोबदल की जाय। जोधपुर से आये हुए मेरे मित्र उस कानून में दी हुई तारीफ बनाने में शामिल थे और अब नई तारीफ करके उलझन पैदा करने में समर्थन होने की कोशिश कर रहे हैं, परन्तु दो कानूनों में एक ही चीज की परस्पर विरोधी अलग अलग तारीफें करना कहाँ तक उचित है, शायद वे अपने ही पाँव खोदने की कोशिश कर रहे हैं।

जागीर रिजम्शन एक्ट में as amended जैसी तारीफ की है वैसी ही खुदकाश्त की तारीफ इसमें करनी चाहिये। उसमें खुदकाश्त की तारीफ है वह यह है :—

"'Khudkasht' means any land cultivated personally by a Jagirdar and includes any land recorded as Khudkasht, Sir or Hawala in settlement records."

मैंने इस जगह यह जो तारीफ 'खुदकाश्त, की की गई है उसके शुरू में "recorded or"

[श्री जवानसिंह]

शब्द जोड़ने का संशोधन किया है और अब वह इस प्रकार रन करेगा :—

"'Khudkasht' shall mean any land cultivated personally by an estate holder and shall include land recorded or held as Khudkasht, Sir or Hawala at the commencement of this Act."

तो इस संशोधन को मन्जूर करने से जैसी कि तारीफ जागीर रिजम्पशन एक्ट में दी हुई है वही की वही तारीफ इसमें भी आ जायगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय रेवेन्यु मिस्टर साहब से कि जैसी तारीफ उस एक्ट में 'खुदकाश्त, की की गई है वैसी ही इस एक्ट में भी रखें।

मैं उनको इशारा उनकी एक भावना की ओर करूंगा, कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने इशारा किया था कि जैसे जागीर रिजम्पशन एक्ट को पास किया है और जो अधिकार उसमें दिए हैं, सुरक्षित रखे हैं, उन अधिकारों को हम इस कानून में भी सुरक्षित रखेंगे, उनके हित उतने ही रखेंगे जैसे उनके हित उस कानून में रखे गये हैं।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो तारीफ 'खुदकाश्त' की जागीर रिजम्पशन एक्ट में रखी है वही तारीफ यहाँ भी रखी जाय।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय सभापति जिस वक्त सिलेक्ट कमेटी में, इस क्लॉज़ पर विचार किया गया था तो उस वक्त सोचा गया था कि एज रेकर्डेड इन सेटलमेंट वाली चीज को रखा जाय या नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ और हाउस के सामने निवेदन कर देना चाहता हूँ कि रेकर्ड गलत भी हो सकता है इसलिए सिलेक्ट कमेटी ने 'हेल्ड एज खुदकाश्त' रखा। इससे सब साफ हो जाता है। रेकर्ड रखने से कोई आदमी किसी दूसरे की खुदकाश्त को अपने नाम से भी और और से 'खुदकाश्त' लिखवा सकता है। इसलिए इस रेकर्ड वाली चीज को जान-बूझ कर छोड़ा गया है ताकि 'रेकर्ड' की मोहर न लगा दें। आज हम सेटलमेंट के रेकर्ड में गलत चीज दर्ज करवा सकते हैं और वास्तविकता इसके खिलाफ है एक टीनेन्ट से जिसका उस जमीन पर अधिकार है दूसरा गलत इन्दराज करवा कर छीन भी सकता है। 'एज रेकर्डेड' वाली चीज नहीं रखने से अगर किसी ने रेकर्ड में गलत इन्दराज करा दिया है तो उसके खिलाफ दावा पेश करके दुरुस्त करवाया जा सकता है। तो प्रोवीजो के अन्दर भी यही कहा गया है कि:—

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

"recorded as Khudkasht at the commencement of this Act..."

इससे बचने के लिए यह डेफिनेशन रखी गई है। तो मैं समझता हूँ कि 'रेकर्ड' वाली चीज को रखना ठीक नहीं होगा।

श्री भीमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपना एमेंडमेंट मूव करने से पहले माननीय

[श्री भीमसिंह]

कॉम्युनिस्ट सदस्य ने एमेंडमेंट रखा है उसका विरोध करते हुए, वे जो अपनी खुद की दलीलों में खुद ही उलझ गये, वह बताकर और बातें बताऊंगा। उन्होंने कहा कि जागीर रिजम्पशन एक्ट पहले पास हुआ था वह जागीरें रिज्यूम नहीं होगी तभी तक ताल्लुक रखता है। टिनेन्सी बिल रिजम्पशन से ताल्लुक नहीं रखता इसलिए इसमें भिन्न डेफिनेशन होनी चाहिये। उन्होंने यह ध्यान नहीं रखा कि क्लॉज़ १२ में जो रद्दोबदल हुई थी तो उसकी आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि:—

"A Jagirdar holding Khudkasht shall become a Khatedar tenant thereof."

तो रिजम्पशन होने के बाद तो जागीरदार भी खुद खातेदार की केटेगरी में आ जायेंगे और टिनेन्टस की और जागीरदारों की दोनों की एक सी स्थिति होगी। वे बार बार दुहाई दे रहे थे "partake of essential labour"

खुदकाश्त की परिभाषा रिजम्पशन से पहले ही ताल्लुक रखती है। बीच में इन्टरमिन्गल नहीं की जानी चाहिए।

अब मैं एमेंडमेंट के बारे में माननीय मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि जागीर रिजम्पशन एक्ट में आपने जो व्याख्या रखी है वही इसमें भी होनी चाहिये। अगर इसमें और रखी गई तो इससे मिसअन्डर स्टेन्डिंग और नुक्सान दोनों होने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस वक्त परिभाषा रखी वह किसी बात को मद्देनजर रखते हुए रखी थी। अगर उसको बदल दिया जाता है तो क्या हम समझें कि गवर्नमेंट की मन्शा में फर्क नहीं है तो उस परिभाषा को बदलने की को आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने इस सम्बन्ध में एमेंडमेंट रखा है जो इस प्रकार है:—

"Delete the word 'land' in the second line and substitute pact (i) by the following:—

"any land recorded as Khudkasht, Sir, or Hawala in settlement records; and."

यहाँ जो शब्द मैंने रखे हैं वे जागीर रिज़म्पशन एक्ट में से ज्यों के त्यों रखे है। अगर मन्त्री महोदय को भ्रम हो तो जो मैंने एमेंडमेंट रखा हैं उससे रिज़म्पशन बिल में रखे गये हिस्से से मिलान कर लें। और इसलिए इसे मन्जूर कर लिया जाय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, जो एमेंडमेंट श्री एच. के. व्यास ने मूव किया है मैं उसके विरोध में बोलना चाहता हूँ। उनका कहना है कि.....

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

"Khudkasht shall mean any land in which personal labour is involved."

तो मैं यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसा मेरे एक माननीय मित्र श्री गोपीलालजी यादव ने कहा वह बहुत अच्छा होता अगर लेन्ड कल्टीवेटेड परसनली में लेते क्योंकि खुदकाश्त एक टेक्नीकल टर्म है :—

"'Khudkasht' shall mean any land cultivated personally." Now which land is cultivated personally ?

यह इससे गवर्न होगा जो क्लाज़ २५ में दर्ज है तो अगर दफा २५ की डेफिनेशन 'कल्टीवेटेड पर्सनली, की बदल दी जाती है तो खुदकाश्त की डेफिनेशन अपने आप बदल जाती है। जहाँ तक 'खुदकाश्त' का सवाल है मेरे मित्र ने जो एमेंडमेन्ट रखा है उससे कोई फायदा नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए मेरे लायक दोस्त इस बात को मानेंगे कि 'खुदकाश्त' किसको कहते हैं। उन्होंने 'लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनलो, का हिन्दी मतलब निकाल कर 'खुदकाश्त' कह दिया। मगर 'खुदकाश्त' एक हमारे यहाँ टेक्निकल टर्म है। मैंने जो दलीलें दी हैं उनको मानते हुए मेरे मित्र इस बात को मानेंगे और इसे 'लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली' में रखेंगे और एमेन्डमेन्ट को वापिस ले लेंगे। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि जो डेफिनेशन जागीर लेन्ड रिजम्पशन एक्ट में रखी है वही टिनेन्सी एक्ट में भी रखनी चाहिए, क्योंकि एक कानून जिसको हमने अभी पास किया है उसकी परिभाषा और नये कानून जिसको हम पास करने जा रहे हैं उसकी परिभाषा में रद्दोबदल करें तो यह कोई अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं खुद यह कहूँगा कि जो परिभाषा जागीर रिजम्पशन एक्ट में दी हुई है उस परिभाषा पर हमें स्टिक रहना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव—That would be amended.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसलिए जो एमेंडमेंट श्री जवानसिंहजी और दूसरे माननीय मित्र ने रखे है मैं उनका समर्थन करता हूँ।

इसके साथ साथ जो सीर और हवाला को डिलेट करने की बात श्री बृजसुन्दरजी ने रखी है वह जरूर कम्प्लीकेशन्स पैदा करेंगे। जोधपुर में और दूसरी जगह हवाला गवर्नमेंट लेन्ड को कहते हैं और जोधपुर में तो हवाला ऑफीसर भी हैं। और इससे कुछ कम्प्लीकेशन्स पैदा होते हैं लेकिन फिर भी हमने सीर और हवाला को इन्क्ल्यूड किया है तो यह आवश्यक हो जाता है कि डेफिनेशन में इतना अन्तर नहीं किया जावे। इन सब बातों को देखते हुए जो 'खुदकाश्त' की परिभाषा हमने जागीर रिजम्पशन एक्ट में रखी है वही रहनी चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Just one minute.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अभी मेरे मित्र ने जो परिभाषा "Land cultivated personally an estate-holder" की की उसको माननीय मन्त्रीजी स्वीकार करते हैं तो मैं उस हद तक उसे सीमित रखने के लिए तैयार हूँ। मेरे मित्र मन्त्रीजी को समझा कर पहले इसे मन्जूर तो करालें। मैं अपने इस एमेंडमेन्ट को लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली में देने के लिए तैयार हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीयउपाध्यक्ष, लेन्ड रिफॉर्म एन्ड जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में सब-क्लाज २३ में जैसी खुदकाश्त की डेफिनेशन है वैसी डेफिनेशन यहाँ पर भी दी जानी चाहिये थी और मैं यह मानता हूँ कि अब तक जितनी भी डेफिनेशन कहीं भी कानून में देखी है, दो तरह की दो कानून में बनती हुई नहीं देखी परन्तु इसकी यह दलील नहीं की जो गल्तियें हो जावें वे दूसरी जगह भी दौराही जावें और फिर उसको दुरस्त करने के लिए एमेंडमेंट आवें। इसके अलावा श्री वृजसुन्दरजी ने 'हवाला, और 'सीर, के बारे में कहा है, मगर मैं यह कहूँगा कि 'सीर, और 'हवाला, का कई जगह अलग अलग मतलब है। जैसे सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा झालावाड़ आदि में अलग अलग मतलब लिये जाते हैं। हमारे यहाँ की बात मैं कहता हूँ कि 'सीर' शब्द से हमारे यहाँ यह अर्थ लिया जाता है, जयपुर में तो उसका क्या इन्टरपेरशन लिया जाता होगा मैं नहीं जानता, मगर हमारे यहाँ तो यह मतलब लिया जाता है कि दो आदमी पार्टनरशिप में काम करें याने 'सीर' में किसी खेत को बोवे। यदि यह शब्द रह जाता है तो इस 'सीर' में जो इस २० (बी) के आगे (२५) 'लेन्ड कल्टीवेटेड परसनली की डेफिनेशन में "by sarvants on wages payable in cash or in kind, but not by way of a share in crop."

हालांकि इसमें कुछ शब्द इन्होंने बन्द से कर रखे हैं, लेकिन वे लफ्ज़ बन्द नहीं हैं बल्कि बदस्तूर हैं जैसा कि मैंने मालूम किया। मैंने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे मालूम हुआ कि "but not by way of a share in crop" इन शब्दों को डिलीट नहीं किया गया है। अगर ये शब्द रहते हैं 'but not by way of a share in crop' तो 'सीर' वहीं रहती है तो ये दोनों आपस में कोन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। इसलिए अगर एक जगह भूल हो गई तो उसे फिर से रिपीट नहीं किया जावे अगर गल्तियों को रिपीट किया जावेगा तो कल ही दूसरे एमेंडमेंट आ जावेंगे। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि 'सीर' और 'हवाला' को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिये। वृजसुन्दरजी का एमेंडमेंट काफी स्पष्ट है। इसके साथ साथ मुझे यह निवेदन करना है कि.....

श्री गोपीलाल यादव—'held' or 'recorded' पर भी कह दें।

श्री श्रीदास गोयल—जब ये दोनों शब्द डिलीट हो जाते हैं तो बहुत सहूलियतें मिल जावेंगीं। ये नहीं हटाए गये तो लिटिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ जावेगा। एक्चुअल पोजीशन यह है कि खुदकाश्त लेन्ड पहले ही बहुत जगह रेकर्ड में गलत दर्ज की गई हैं। 'सीर' और 'हवाला' अब भी बदले जा सकते हैं। यदि ये 'सीर' और 'हवाला' रहे तो जिन लोगों की जमीन जिनके नाम अभी मौजूद है as an actual cultivator वह व्यक्ति भी अपनी जमीन से महरूम हो जावेगा। हम सब को इक्वीटेबल रिलीफ (equitable relief) देना चाहते हैं। खुदकाश्त के मामले में पहले ही काफी जनरोसिटी बरती गई है और अब इससे ज्यादा जेनरोसिटी बरतना ठीक नहीं है।

श्री सभापति—श्री भैरूसिंह (१६)।

(अनुपस्थित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय चेयरमेन, मैंने इसमें मेरा एमेंडमेंट पेश किया है, मेरा एमेंडमेन्ट इस प्रकार से है:

" Substitute the words 'a jagirdar' in place of the word 'an estate holder' occurring in line 2 "

मेरा एमेन्डमेंट है कि 'खुदकाश्त' की डेफिनेशन में एस्टेट होल्डर के बजाय 'जागीरदार' रखा जावे। शुरू में जब कानून तैयार हुआ था उस समय 'जागीरदार' ही था लेकिन बाद में सिलेक्ट कमेटी में जब यह बिल गया तो सिलेक्ट कमेटी ने 'एस्टेट होल्डर' बढ़ा दिया। मुझे मालूम हुआ है कि यह एमेंडमेंट हमारे भरतपुर के एक माननीय सदस्य, श्री यादवजी, के कहने से हुआ था। 'एस्टेट-होल्डर' की डेफिनेशन सब सेक्शन १२ में दी हुई है कि :

" 'Estate-holder' shall mean the holder for the time being of an estate, that is to say, a Jagirdar, an Istamrardar, a Biswedar or a Zamindar."

लेकिन बिस्वेदार जो शब्द है उसमें बिस्वेदारों के कब्जे में जो जमीन है और जागीरदारों के कब्जे में जो जमीन है उनका दोनों का rights contradictory है। बिस्वेदार जमीन का मालिक है और उसको बय करने का हक है। जागीरदारी राइट्स टिनेन्ट होने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। यह दोनों एक साथ रहने से कोन्ट्राडिक्शन पैदा होगा और इससे गलतफहमी पैदा होने की बात है।

साथ ही बिस्वेदार के अलग हकूक हैं और बिस्वेदार रेवेन्यू लॉ के मातहत आते हैं। अगर हम इसको टिनेन्सी लॉ में लावेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। यह सारा चेप्टर जागीरदारों की जमीन से ताल्लुक रखता है। सक्सेशन एन्ड ट्रान्सफर के राइट्स क्लॉज़ ८ के सब क्लाज़ (१) व (२) में दिये हुये हैं और वे उनके मुताबिक गवर्न होंगे किन्तु बिस्वेदारों के जो हकूक हैं वे तो टिनेन्सी लॉ से गवर्न न होकर रेवेन्यू लॉ से गवर्न होंगे और यह टिनेन्सी का राइट नहीं है। इसलिये मेरा एमेंडमेंट है कि 'एस्टेट होल्डर' को हटा दिया जाय और उसकी एवज में 'ए जागीरदार' रख दिया जाय। इससे दूसरे जो कानून हैं उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। बिस्वेदार जोड़ देने से कॉम्प्लीकेशन्स खड़े हो जावेंगे। चूँकि बिस्वेदार जमीन का पूरा मालिक है और जब तक कि

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

जमीदारी प्रथा समाप्त नहीं हो जाती तब तक ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि 'बिस्वेदार' की जगह 'जागीरदार' कर दिया जाय ताकि गलतफहमी न हो।

श्री किशनलाल शाह—इस परिभाषा के सिलसिले में एक तजवीज यह आई है कि अभी हमने थोड़े ही दिन पहले जागीर रिजम्पशन एक्ट में इस सम्बन्ध में परिभाषा की है इसलिये वही रहना चाहिये और इसके कारण कुछ अलग-अलग बताये गये हैं। किसी ने कहा कि इसमें कम्प्लीकेशन्स होंगे और किसी का यह कहना था कि वह टेक्निकल टर्म हो गई है और शुरू से चली आ रही है, इसलिये उसी को एडोप्ट किया जाना चाहिये। जहाँ तक इस दलील का ताल्लुक है कि टेक्निकल टर्म हो गई है, मैं, माननीय चेयरमेन, यह कहूँगा कि यह तो एक दकियानूसी दलील है जो कि इस बदलते हुये युग के साथ चूंकि परिभाषायें बदलती हैं, वे नहीं टिक सकतीं। उसके बाद यह आया कि खुदकाश्त हेतु यह ले लिया जाय कि यह एक टेक्निकल टर्म है। खुद मीन्स पर्सनल काश्त मीन्स कल्टीवेशन, जिसमें काश्त की गई हो। इसको टेक्निकल लेते हैं तो इतना आता है, कि 'लेन्ड कल्टीवेटेड परसनली' और उसको और आगे लेते हैं तो 'by an estate holder......' वगैरा-वगैरा इसमें सब आ जाते हैं। अब तक काश्त का इन्दराज इस लाइट में आता था कि सरवेन्ट की तरफ से की गई हो तो वह पुराने टिनेन्सी एक्ट के मातहत 'लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली' के अन्तर्गत नहीं आता था, और यदि दूसरे के नाम इन्दराज हो गया है और रेकर्ड में चेन्ज हो गया है तो 'opening the whole issue over again and revising the whole record' ये भी कम्प्लीकेशन्स उसमें सामने आ सकते हैं और उसके बाद में एक यह आई कि 'लेन्ड रेकर्ड' और 'लेन्ड हेल्ड'। चेयरमेन महोदय, अगर इमानदारी से पूछा जाय तो ये शब्द इसमें नहीं होने चाहिये, क्योंकि जमीन उसके पजेशन में है और अगर अब हम कहते हैं कि held at the commencement of this Act. तो Personal cultivation-Record of rights में आ जाता है। लीगली speaking, 'held at the commencement of this Act' के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उपरोक्त दलील आती है तो सेटलमेन्ट के रेकर्डस में गलती हुई है। अगर आज उसको होल्ड किया जायगा तो वह एस्टेट में ली जा सकती है। जहाँ रेकर्ड का सवाल आता है, अगर वहाँ पजेशन लिया जाता है तो पहले जो चीजें हैं उनकी रोकथाम की आवश्यकता है और जागीर रिज़म्पशन एक्ट साफ बताता है कि 'recorded और held at the commencement of this Act' यह लिया जाय तो आज हमारा कब्जा है, लेन्ड होल्डर्स हैं, चाहे वे गलत हों या सही, वे कोर्ट में जावेंगे तो दलील यह बताते हैं कि ये रोंग एक्शन्स हुये हैं और उनको लिगेलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है और दोनों के दृष्टिकोण हैं वे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट की तरह से हैं। इसके अलावा यह बताया जाता है कि ये दोनों काम हुये हैं ऐसी हालत में यह जोड़ दिया जाय कि 'held as Khudkasht at the commencement of this Act otherwise than as a tresspasser;"

Page No.70

[श्री किशनलाल शाह]

अगर उसको सही कह दें तो हमारा दृष्टिकोण सही था, दुरुस्त था, पजेशन सही है। वह रेकर्ड रह जाता है और एक ट्रेसपासर हो जाता है। अगर आर्गुमेंट का दृष्टिकोण यही है तो आपको इस अमेंडमेंट में कोई ओब्जेक्शन नहीं होना चाहिये और इसको देखकर सही दलील दें। मान लीजिये मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट में यह है कि जिसको खातेदार के अधिकार हो चुके है और एक हिस्सा दूसरे के कब्जे में आ जाता है तो सिर्फ ये शब्द हैं "held as khudkasht at the commencement of this Act" दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे और पुराने एक्ट के मुताबिक जो प्रटेक्शन चेप्टर दो के क्लाज ७ में दिये हुये हैं वे कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। अगर यह 'हेल्ड' माना जाता है तो एमेंडमेंट जड़ देने में नुक्सान नहीं होता। तो सारे दृष्टिकोण को देखते हुये और साथ में यह देखते हुये कि मारवाड़ के टिनेन्सी एक्ट में यह दिया हुआ है कि 'Those who were tenants on the date of the commencement of this Act were Khatedar tenant.' That was decided on the basis of possession. यह एमेंडमेंट इसमें जोड़ देना उचित होगा। तो सेटलमेंट विभाग ने यह नहीं देखा कि पजेशन लागू होगा या ट्रेसपास किया वह जायज होगा? मान लीजिये संवत् २००८ में किसी जमीन पर कब्जा था तो संवत् २०१० में यह दूसरे के पास कैसे आयी? यह क्वेश्चन मार्के उनके सामने नहीं आया और इन्टरप्रिटेशन में गलती हुई। इसलिये 'कल्टीवेटेड पर्सनली' यह आगे चलकर ठीक है और दोनों में समन्वय होता है। जागीर रिज़म्प्शन के पक्ष में है या विरोध में है तो उन दोनों का समन्वय इसमें हो जाता है कि 'Land cultivated personally and shall include land held as khudkasht—at the commencement of this Act otherwise than as a tresspasser, or allotted as khudkasht under the Jagir Resumption Act.' This should be the amendment and. मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्रीजी इस पर थोड़ा ख्याल करेंगे और वह इसलिये कि मैं समझता था कि जो वास्तविकता है। उसको इसमें फिट इन अवश्य किया जाना चाहिये। यह वास्तविकता मेरे ही क्षेत्र में हो यह दलील नहीं है। इससे स्पष्ट हो जायगा कि वाकई यह वास्तविक है या नहीं। इसलिये इसमें यह होना चाहिये कि 'held as Khudkasht, Sir, or havala at the commencement of this Act otherwise than as a tresspasser or.. ...

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—माननीय चेयरमेन, इस खुदकाश्त के सम्बन्ध में जो एमेंडमेंट आये हैं उनके सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान जागीर रिजम्प्शन एक्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उसमें जो डेफिनिशन स्वीकार की गई है उसके बारे में कुछ निवेदन करना आवश्यक समझता हूँ। जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में सेटलमेंट रेकर्ड में जो जमीन दर्ज है 'सीर और हवाले' के तौर पर उसे खुदकाश्त कहा गया है। यहाँ यह कहा गया है कि इस डेफिनेशन के स्वीकार करने के पीछे हमारी यह मन्शा रही थी कि जो सेटलमेंट रेकर्ड के अन्दर दर्ज है चाहे वह

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

गलत है या सही, इसमें हमें नहीं जाना है। जो जमीन खुदकाश्त में दर्ज की हुई है उसे खुदकाश्त जमीन माना जाय। अगर खुदकाश्त में जमीन गलत दर्ज कराई गई है तो उसमें करेक्शन के लिये सेटलमेंट रेकर्ड को करेक्शन करने के लिये लॉ में अलग से प्रोवीजन्स हैं। उनके अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है। इसलिये वह डेफिनेशन स्वीकार की गई।

खुदकाश्त का आधार सेटलमेंट रेकर्ड माना गया है और उसको हमने एक बार स्वीकार कर लिया है तो फिर जागीरदारों के राइट्स स्वीकार करने में इस प्रकार आनाकानी करना उचित प्रतीत नहीं होता।

अब रहता है सवाल 'सीर' और 'साझेदारी' का। कुछ जगह 'हवाले' का मतलब भी अलग तौर से लिया जाता है। इसमें जो बातें भीमसिंहजी ने अपने ऐमेंडमेंट में कही हैं वही 'सीर' और 'हवाले' की वही जमीन सेटलमेंट रेकर्ड में दर्ज की गई है। 'सीर' और 'हवाला' ये शब्द रख देने से मुगालते की गुन्जायश थी। सेटलमेंट रेकर्ड में किसी भी साझेदार की जमीन को 'सीर' और 'हवाले' की जमीन को रेकर्ड करने की बात नहीं आती। रिलेशन सब टीनेन्ट और टीनेन्ट के बीच हो सकते हैं, लेकिन वह 'खुदकाश्त' की तोर पर कहीं भी रेकर्ड में दर्ज नहीं होते। मेवाड़ को लिया जाय तो वहाँ 'खुदकाश्त' को 'हवाला' कहा करते हैं और उसी 'हवाले' को खुदकाश्त के नाम से दर्ज किया हुआ है। जब से सेटलमेंट का काम चला उसको 'हवाले' के तौर पर दर्ज करते रहे। इस डेफिनेशन में ओटोमेटिकली वे सब चीजें कवर हो जाती हैं। ट्रेसपासर की बात कही जाती है। जब हम सेटलमेंट रेकर्ड की बात करते हैं तो वहाँ ट्रेसपासर एंटाइटल ही नहीं होता। ट्रेसपासर को उसमें कानून के मुताबिक लिया जा सकता है। हम 'खुदकाश्त' की तौर पर जब दूसरी चीज को स्वीकार करते है तो "other than as a trespasser" ये शब्द जोड़ देने से कोई अन्तर नहीं आता, इसलिये इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

खुद का केलीबर कितना है, कितना नहीं जो कि कुछ मित्रों ने कहा इन सारी चीजों का, इन सारी दलीलों का, जिक्र करने के लिए आगे की जो डेफिनेशन 'पर्सनल कल्टीवेशन' की है उसमें इनका जिक्र किया जा सकता है इन सारी चीजों पर विचार कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी का गलत नाम दर्ज करवाया है, किसी का नाम 'खुदकाश्त' में आ गया है तो उसको ठीक कराने के लिए कानून में प्रोवीज़न्स हैं, उनको अलग किया जा सकता है। इन सारी बातों को देखते हुए जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में जो डेफिनेशन रखी है, वह सोच समझ कर रक्खी थी, हम उस चीज को, उन रेकर्ड को, यहाँ मानने से इन्कार नहीं कर सकते। जिस चीज को हम एक सेक्शन के लिए वाजिब मानते हैं उसी चीज को दूसरे सेक्शन के लिए वाजिब मानने को तैयार नहीं; तो यह उचित नहीं होगा।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हो सकता है कहीं खुदकाश्त गलत दर्ज करवाया हो। हो सकता है मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट में पड़ेशन्स के हिसाब से राइट एस्टेब्लिश कर लिए गए हों अगर इन चीजों पर उचित रूप से विचार करते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लेन्ड 'हेल्ड इन खुदकाश्त' की जो डेफिनेशन जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में दी है वह ज्यादा स्पष्ट है। उसमें गुंजाइश है, सेटलमेंट रेकर्ड में जो दर्ज है उसको बदलने के लिए कानून के जरिए उपलब्ध हैं, उनको काम में ला सकते हैं। इस प्रकार से वे चीजें बदलवाई जा सकती हैं। जिस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया हो वह बदलवाई जा सकती है। जिस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया हो उसको बदलवाने का भी रास्ता रहता है। इसलिए इस डेफिनेशन को मान लेने से कोई बुराई की बात नहीं होगी, जिस चीज़ को हमने जागीर रिज़म्प्शन में स्वीकार किया है। अगर इसके बाद जैसा कि हमने खातेदार या दूसरे सब टिनेन्ट आदि के प्रोटेक्शन के लिए दूसरी क्लॉजेज़ दी हैं, और जो पर्सनल कल्टीवेशन नहीं करते हैं उसके ऊपर सब टिनेन्ट हैं उनके राइट्स के बारे में प्रोवीजन दिए हैं। उनके अनुसार जो दूसरे राइट्स मिलेंगे उससे वे खातेदार के राइट्स एक्वायर कर सकते हैं। इस डेफिनेशन में रद्दोबदल, जैसा कि श्री भीमसिंहजी ने एमेंडमेंट मूव किया है, उनको स्वीकार करके, उन्हीं लाइन्स पर, जो कि जागीरी रिज़म्प्शन एक्ट में इस डेफिनेशन को स्वीकार किया है, स्वीकार करना उचित होगा।

श्री भद्रीप्रसादजी ने जो एमेंडमेंट मूव किया है कि 'एस्टेट होल्डर' की जगह जागीरदार रखा जाय, यह उपयुक्त चीज है। जागीरदार के साथ बिस्वेदार, जमीदार इन सब को इन्क्लूड करना उचित होगा। पुराने बिल के अन्दर हमने जागीरदार शब्द रखा था वही जागीरदार शब्द यहाँ भी रखा जाय। जागीर रिजम्प्शन में जो डेफिनेशन है उसको स्वीकार कर लें तो ज्यादा अच्छा हो। इसके साथ-साथ मैं और यह अर्ज करना चाहता हूँ जो हमारा मुख्य ध्येय है, खास तौर से इस मौके पर जब कि जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं, कि कुछ लोग जान बूझ कर हमारी इस मन्शा को गलत तौर से लेकर प्रचार कर रहे हैं कि हमारी सरकार खुदकाश्त के बारे में ठीक नहीं है, खुदकाश्त नहीं देगी, असेंब्ली इसका पालन नहीं करेगी। हमें यह नहीं चाहिये कि हम इस अवसर पर किसी को यह मौका दें। इसके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट के वक्त जिस समझौते को कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया है उसमें रद्दोबदल करना भी उचित नहीं होगा; उससे निरर्थक, गलत बातों का प्रचार होगा हमें यह भी गुंजाइश नहीं रखनी चाहिये। इस डेफिनेशन को जो जागीर रिजम्प्शन एक्ट में दी हुई है उसके अनुसार करने का जो सुझाव रखा गया है उसको स्वीकार कर उसी के आधार पर यह डेफिनेशन रखना उपयुक्त होगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—'एस्टेट होल्डर' की जगह 'जागीरदार' शब्द रखना उपयुक्त रहेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन महोदय, सब से पहले यह एतराज किया गया है कि यह संशोधन 'लेन्ड कलटीवेटेड पर्सनली' इस सिलसिले में रखा जाय। यह एतराज वाजिब होता, बहुत सही होता, अगर खुदकाश्त की परिभाषा में 'and shall include land' ये शब्द न जोड़े गये होते, और जो खुदकाश्त' की परिभाषा की गई है उसमें इतना ही होता 'Khudkasht shall mean any land cultivated personally by a Jagirdar or an estate holder..'

तो यह बात सही होती। 'लेन्ड कलटीवेटेड पर्सनली' की ठीक परिभाषा अपने आप इसमें लागू हो जायगी। इसमें शब्द ये जोड़े हैं 'and shall include land' इसका मतलब यह है कि इसकी परिभाषा के दो अलग-अलग अङ्ग हैं। एक 'लेन्ड कलटीवेटेड पर्सनली' जो आज तक दर्ज है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आज तक जो लेन्ड 'खुदकाश्त' में दर्ज है अब उसका आगे क्या होगा? मेरे मित्र श्री भीमसिंहजी ने अभी जिक्र किया और ऐसी उलझन भरी बातों का जिक्र किया। मेरा उनसे कहना है कि वे इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर आज कोई जमीन 'खुदकाश्त' में दर्ज है तो उनका उस पर राइट हो जायगा; उसके बाद खातेदार और टिनेन्ट. सब टिनेन्टस का हो जायगा। इन लोगों की बराबर ऐसी स्थिति रहे यह बात नहीं चलने वाली हैं। उन्होंने आँकड़ों का संकलन और बिल के क्लॉजेज का हवाला दिया और यह बताने की कोशिश की कि खुद काश्त के रूप में पड़ रह ही जायगा। मेरी समझ में कम से कम मौजूदा ड्राफ्ट में तो नहीं रहेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लाज़ १० की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। मिसाल के तौर पर जिसमें 'Restrictions on sub-letting of Khudkasht—'रक्खी गई हैं और ये शब्द रक्खे गये हैं उसमें No, tenant of land in which Khudkasht right subsists for the time being...'यानि 'फोर दी टाइम बीइङ्ग' अगर खुदकाश्त कहीं है उस लेण्ड में अगर कोई टीनेन्ट है तो he shall not be entitled to sub-let the whole or any part of his holding. तो खुदकाश्त का राइट जीमन की निस्बत है। वहाँ के टिनेन्ट पर बन्धन है कि वह सब-लेट नहीं कर पावेगा।

मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि नहीं, यह तो करीब करीब बराबर की स्थिति हो जावेगी। अगर ऐसा है तो क्लॉज ३६ देखिये, जहाँ 'गैरखातेदार टिनेन्ट' को एक वर्ष के लिए सबलेट करने की रियायत दी गई है। तो आगे चलकर जब एक्ट की सारी धाराओं को डिस्कस करेंगे तो मालूम होगा कि एक विचित्र प्रकार की हिन्ड्रेन्स डेवेलप होने वाली है। वह किस प्रकार की है? वह ऐसी है कि जब आज जागीरदार रिज़म्पशन के एक्ट के मातहत पाँच हजार बीघा जमीन भी 'खुदकाश्त' के रूप में दर्ज अगर हो गई है तो वह 'खुदकाश्त' बन गई। अब यह रिलेशन कितने दिन रहेगा, जमीन और 'खुदकाश्त' का 'खुदकाश्त' और जागीरदार का, और इसके बीच में क्या सम्बन्ध इनका रहेगा, यह कितने दिन रहेगा, आखिर तो इसका तसफिया करना है एक दिन अन्तिम रूप से। अभी तो किसी तरह ले-देकर काम चलाऊ निर्णय किया गया है, पर यह टिनेन्सी बिल तो एक दो दिन के लिए नहीं बन रहा है, या दो तीन हजार रिट एप्लीकेशनों को रोकने के लिए भी नहीं बन रहा है। यह तो कायम की चीज बन रही है।

तो यह जो इतनी जमीन दर्ज है 'खुदकाश्त' के रूप में, तो अब उसका स्टेट क्या होगा इसके बारे में है सारा का सारा डिस्प्यूट।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मेरा यह कहना है कि जैसा भी इस बिल में आज है आगे चलकर उस पर कुछ रैस्ट्रिक्शन लगाई जावे।

"—It shall cease to be Khudkasht."

अगर इस प्रकार की चीज होती तो उनका अधिकार उस पर से खत्म हो जाता। तो वैसे ही एक रेस्ट्रिक्शन लगा दें। यह क्या बात है कि माननीय मन्त्रीजी कहते हैं कि हमने जो एक बार कर दिया वह लोहे की लकीर है, खुदा के वास्ते, उसको छूओ मत, टच मत करो। कल खुद ने टच किया है, आपने खुद ने रेस्ट्रिक्शन लगाई है और यह लगाई है 'खुदकाश्त' की जो जमीन है उसमें अधिकार है उनका, अलग इजाफा या कम करेंगे, किसी प्रकार के मौके के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, तो वह करेंगे। तो कानूनन इस बात को तो मान लिया गया है कि आज जो जमीन 'खुदकाश्त' के लिए दर्ज है वह परमात्मा की ओर से लेकर नहीं आये हैं, लोहे की लकीर नहीं हैं; it is subject change,

तो मेरा यह कहना है कि यह व्यवस्था में एक हिन्ड्रेन्स पैदा करने वाली चीज होगी। अगर वह 'खुदकाश्त' में दर्ज है, और हकीकत में नहीं है, तो उसका पता लगाएं। इसका पता कैसे लगेगा? जब खुदकाश्त को 'खुदकाश्त' ठहराया है तो वह सही है, सही रूप से ठहराया है या क्या ठहराया, इस ब्यौरे में मैं नहीं जाऊँगा इस समय, पर भविष्य में इस जमीन के सम्बन्ध में उसका क्या ताल्लुक रहेगा, इस आधार पर हम यह कानून बनायेंगे।

मेरे कुछ माननीय मित्रों ने यह जिक्र किया, कि एक बहुत बुरी टेन्डेन्सी चल रही है कि कल, परसों या तरसों हमने एक कानून पास किया, उस एक्ट में हमने एक परिभाषा मन्जूर कर ली और अब उसको बदलने के लिए चले हैं। मुझे इसमें कोई बुराई की टेन्डेन्सी नहीं नजर आई। इसलिए कि आप हम सब मेरे मित्र जो आज यहाँ बैठे हैं, खादी के कपड़े पहिने हुए हैं, ऐसा लगता है कि नवम्बर में भी यह सेशन फिर चलेगा; नवम्बर, दिसम्बर के महीनों में सर्दी आ जाती है तो उस वक्त आप गरम कपड़े पहिनेंगे तो अगर कोई मित्र खड़ा होकर यह कहे कि यह तो गलत टेन्डेन्सी बता रहे हैं, तो यह ठीक नहीं होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में तो गरमी पड़ती है और इसलिए ठन्डे सूती कपड़ों से काम चलेगा पर नवम्बर, दिसम्बर में सरदी पड़ने लगती है, उस समय ये ठन्डे कपड़े काम नहीं दे सकेंगे गरम कपड़े ही ठीक रहते हैं। अगर इसको भी कोई सदस्य बुरी टेन्डेन्सी की बात कहते रहें तो उनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। इस प्रकार के डोनक्विक्सोट आईडियाज़ होते हैं किन्हीं लोगों के तो होते रहें। इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर असल बात यह है कि इस जागीर रिजम्प्शन एक्ट को मन्जूर करने के लिए आपने यह रास्ता निकाला कि अभी तो कुछ ले-देकर इनके 'खुदकाश्त' के सवाल को तय कर दें और इस इरादे से आपने 'खुदकाश्त' की बात को स्वीकार की, पर वास्तव में जो दर्ज की गई है वह सही है कि नहीं यह देखना है।

एक माननीय सदस्य—अब बदल दें ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—दर्ज कराने वाले ने गलत दर्ज कराया है अगर तो अब की बार और दर्ज कर लिया तो इसमें क्या है ? वह ठीक कराया जाना चाहिए। अब अगर गलत सलत कैसे भी दर्ज करा लिया तो करा लिया। वह लोहे की लकीर बन गई है क्या ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—शान्ति, शान्ति।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो एक बार दर्ज हो गया तो क्या लोहे की लकीर बन गई ? मान लीजिए, दर्ज करा लिया है एक बार पर आइन्दा वह काश्त करें या नहीं करें; अगर नहीं करे तब भी क्या वह 'खुदकाश्त' में रह सकेगी। यह सवाल है। आइन्दा उस जमीन के सिलसिले में, उस 'एस्टेट होल्डर' का, 'जागीरदार' का, काश्तकार का क्या ताल्लुक है, यह तो डिफाइन होना ही चाहिए नहीं तो आगे चलकर एक अजीब स्थिति आवेगी। टिनेन्ट की 'खुदकाश्त' गिनी जावेगी या एस्टेट होल्डर' की 'खुदकाश्त' गिनी जावेगी और वह मेरे माननीय मित्र, श्री नाथूरामजी, के एमेंडमेंट के मुताबिक १८ या बाईस गुना मुआवजे के मिलने पर ही टिनेन्ट की 'खुदकाश्त' हो सकेगी ! तो यह तो वह बात हुई कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। नतीजा यह होगा, आज जो अधिकार उसे मिल सकते है, वे नहीं मिलेंगे उस टीनेन्ट को और गलत तरीके से जो दर्ज करा लिया है 'खुदकाश्त' की जमीन को अगर उस एस्टेट-होल्डर ने तो उसके ऊपर भी मोहर लग जावेगी। तो यह मंशा है क्या सरकार की इससे ?

और अगर गलत चीज हो गई है और आप उसे संशोधित नहीं करना चाहते तो फिर या तो ' and shall niclude land,

इन शब्दों को हटा दें। इस हालत में मैं मेरा एमेंडमेंट वापिस ले लूँगा और फिर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पर बहस में आगे जब मौका आवेगा तब प्रस्तुत करूंगा और अगर यह शब्द ही कायम रखना है आपको तो इस बात की सफाई होना वाजिब है। इसलिये अर्ज करूंगा कि आने वाले कई वर्षों तक के लिये जो सम्बन्ध हम जमीन और काश्तकार या जमीन और खुदकाश्त आदि के बीच कायम करने जा रहे है इस कानून के द्वारा उन इन सारी बातों पर गम्भीरता से विचार किये बगैर पास न करें और मेरा जो संशोधन है उसे स्वीकार कर लें। यह टेंडेंसी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। परेशानी यही है कि चाहते उधर बैठने वाले भी यही है पर कुछ परेशानी और हिचकिचाहट है वह हिचकिचाहट नहीं रहनी चाहिए।

इतने पर भी अगर माननीय मन्त्री महोदय इसे न मानें तो, माननीय चेयरमैन महोदय, आप इस पर सदन की स्वीकृति ले लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमैन साहिब...

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऑन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर, आप किस हैसियत से बोल रहे हैं ?

Page No.76

श्री वृजसुन्दर शर्मा—मेरा एमेन्डमेन्ट है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—You are not supposed to be on legs

श्री वृजसुन्दर शर्मा—जैसा कि अभी दौराने बहस में आया और एक मेरे माननीय मित्र ने उसमें एमेन्डमेन्ट भी पेश किया है कि वह 'एस्टेट होल्डर' के बजाय 'जागीरदार' कर दिया जाना चाहिये तो जागीरदार करने के बाद में तो यह सीर और हवाला और खुदकाश्त जागीरदार से सम्बन्धित रहते हैं। अगर जागीरदार में यह हवाला दर्ज है तो जागीरदार का हवाला रहेगा क्योंकि आपने पहले रिकग्नाइज कर लिया। लेकिन अगर आप इसको एस्टेट होलडर का ही रखते हैं तो इसमें विभिन्नता आ जाती है, फिर तो कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं भी कोई भी इन्ट्रेस्टेड हो कोई भी तरह का आदमी हो या विस्वेदार हो वह भी इसमें आ जाता है और फिर उसकी सीर पर हवाला हुआ तो इसमें बहुत सारी कम्प्लीकेशन पैदा हो सकती है। पर चूंकि जो एमेन्डमेन्ट प्रोपोज किया गया है कि एस्टेट होल्ड के बजाय जागीरदार कर दिया जावे इसके होने के बाद में लिमिटेड हो जाता है और इस पर मैं समझता हूँ कि सीर और हवाला की परिभाषा से हटाने की जो जरूरत थी उसकी आवश्यकता नहीं रहती हैं और इसलिए यह एमेन्डमेन्ट पहले वाला मन्जूर किया जा चुका है या कर लिया जावेगा ऐसा मेरा ख्याल है। ऐसी सूरत में मैं अपना एमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूँ।

श्री जवान सिंह—माननीय चेयरमैन महोदय, क्योंकि श्री भीमसिंहजी के संशोधन को मन्जूर कर लिया गया है और जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया था उसका भी आशय करीब करीब वही था इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री सभापति—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री वृजसुन्दर शर्मा को एमेन्डमेन्ट वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है।

श्री वृजसुन्दर शर्मा— मैं अपनी तरमीम वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि श्री जवानसिंह को अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है।

श्री जवान सिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—अब क्लॉज ४ के सब क्लॉज (२३) में श्री हरिकृष्ण व्यास के एमेन्डमेन्ट हैं। क्या ये सदन को स्वीकार हैं ?

(संशोधन अस्वीकृत)

Page No.77

[श्री सभापति]

एमेंडमेंट ड्रॉप होगये

(विराम)

श्री भीमसिंहजी ने सबक्लॉज (२१) के ऊपर जो एमेंडमेंट रखना है उसे मिनिस्टर महोदय ने ऐक्से कर लिया है क्या वह स्वीकार किया जाय

(संशोधन स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद का एक एमेंडमेंट है इसी क्लाज के ऊपर जिसको कि मन्त्री महोदय ने एक्सेप्ट किया है; क्या सदन की यह अनुमति है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाय।

(संशोधन स्वीकृत)

एक्सेप्ट किया जाता है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ की सब क्लॉज़ (२३) को एज़ एमेन्डेड........

श्री बृजसुन्दर शर्मा—किशनलालजी का एक एमेन्डमेंट और है।

श्री सभापति—एक एमेंडमेंट श्री किशनलाल शाह का है।

श्री किशनलाल शाह—माननीय चेयरमेन, जो संशोधन मैंने रखा है उस विषय में दलीलें जो सरकार की तरफ से दी गई हैं और जो सरकार की तरफ से संशोधन स्वीकार किये गये हैं उनमें और मेरे संशोधन के प्रति जो रुख बदला हुआ है उसका कोई कारण नजर नहीं आ सकता है सिवाय इसके कि एक कार्य पोजीशन में होने के बाद में उसको आगे प्रेस किया गया या विद्ड्रा किया गया।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं समझता हूँ कि जब वह इसमें ट्रेसपासर का नहीं आता है और इसकी मन्शा यही है तो फिर इस एमेंडमेंट को स्वीकार करने में नुकसान क्या है, और अगर ट्रेसपासर के लिये दूसरी रेमेडीज़ होती हैं तो उसके लिये सबसे अधिक यह कर देना चाहते हैं तो एक सेक्शन ऐसा है कि वह रेमेडीज़ हैं, लेकिन उन लोगों की उससे समस्या हल नहीं होती है। उसमें एक इन्डीविजुअल रेग्यूलर

[श्री किशनलाल शाह]

सूट करना पड़ता है और वह इतनी टीडियस रेमेडी है कि उनको सुविधा नहीं मिल सकती है। एक सेटिलमेंट में रहने के लिये, जैसा कि सेटिलमेंट हमने अभी किया है वह रेवेन्यू के वक्त में भी कर सकते हैं। एक तरफ यह कहना कि आपको लाभ मिल सकता है, आपके लाभ के दूसरे दरवाजे खुले हैं, मैं मानता हूँ मेरे एमेंडमेंट से, उस रेमेडी और उस उपचार से, इन्कार करना है और जिसके करने से नुकसान नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जब हम स्वाधीन हुए थे यह आशा थी: सरकार कम से कम मुझे यह बताए कि सरकार का एक समाजवादी दृष्टिकोण रखकर समाज की जो वास्तविक स्थिति है उसके मुताबिक कदम नहीं उठाकर उसके प्रतिकूल एक इन्डिविजुएलिस्टिक व्यूप्वॉइन्ट का लाभ रख सामने आ रही है। इस कारण से मैं यह फील करता हूँ कि यद्यपि अनुशासन के नाते यह नहीं करना चाहते, परन्तु फिर भी यह कहता हूँ कि मैं अपने एमेंडमेंट को वापिस लेने में असमर्थ हूँ और सरकार ने जो संशोधन स्वीकार किये हैं उनको भी स्वीकार करने में असमर्थ ही नहीं, बल्कि विरोधी हूँ।

(विरोधी दल की ओर से हियर, हियर)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ४ की सब क्लॉज़ (२३) में श्री किशनलाल ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(संशोधन अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (२३) स्वीकार किया जाय।

कई अवाजें—As amended.

श्री उपाध्यक्ष—एज एमेंडेड स्वीकार किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (२३) एज एमेंडेड स्वीकृत हुआ।

(विराम)

उपखण्ड (२४)।

[श्री उपाध्यक्ष]

सब क्लॉज़ (२४) श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह—I do not want to move my amendedmant.

श्री उपाध्यक्ष—(श्री तनसिंह से) आपका सब क्लॉज़ (२५) पर संशोधन है ।

(विराम)

प्रश्न यह कि सब क्लॉज़ (२४) स्वीकार किया जाय ।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (२४) स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

उपखण्ड २५ ।

सब क्लाज़ (२५), श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह—मैं मूव नहीं करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री किशनलाल शाह ।

श्री किशनलाल शाह—इससे पूर्व जो कि एग्रीकल्चरिस्ट और खुदकाश्त की परिभाषा के समय स्थिति सामने आई है उससे स्पष्ट है कि मेरा संशोधन मूव करना व्यर्थ है, इसलिये इसको ेस करना पसन्द नहीं करता ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—प्रेस करना जरूरी नहीं है ।

श्री वेदपाल त्यागी—संशोधन आपका नहीं माना जाय तो बात है । प्रेस करने की स्थिति पैदा नहीं हुई है । आप मूव करना चाहते हैं या नहीं ।

Page No.80

श्री किशनलाल शाह—I do not want to press the move .

श्री हरिकृष्ण व्यास—You certainly want to impress the move.

जहाँ तक इस अमेंडमेंट का ताल्लुक है इसकी तो मुझे बार बार दावत दी जा चुकी है और यह कहा गया है कि लेन्ड कल्टीवेटेड परसनली पर विचार करने का समय आवे तब यह संशोधन मूव किया जावे। अब मौका आ गया है। वह दावत कार्यरूप में परिणत होगी या नहीं मैं नहीं जानता लेकिन जहाँ तक अमेंडमेन्ट मूव करने का सवाल है मैं मूव करता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—That is your right.

श्री हरिकृष्ण व्यास—And it is somebody's duty to honour his own commitments.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—शायद वह दावत नहीं अदावत है।

श्री उपाध्यक्ष—Please come to the point.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अदावत की बात दूसरी है।

I am only replying to the interruption.

अमेंडमेंट मेरा यह है, माननीय उपाध्यक्ष, कि जो सब-क्लाज़ के पार्ट (बी) में शब्द हैं वे नहीं हटाये जाँय और वे शब्द हैं; 'Land cultivated on one's own account—

(iii) by servants on wages payable in cash or in kind इसके बाद 'but not by way of a share in crops.'

और ये शब्द सिलेक्ट कमेटी द्वारा हटा दिये गये थे। मेरा संशोधन यह है कि सबसे पहले ये शब्द रखे जावें। मुझे यह पता नहीं लगा, आज फिर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी, कि ये शब्द हटाये क्यों गए? क्योंकि यह जो वेजेज़ पर काम करने का उसूल है उसका सारा का सारा मतलब है वह बेकार हो जायगा। शेअरिंग प्रेक्टिस के रूप में यदि वेजेज़ पे की जा रही हैं तो वे वेजेज नहीं हुई, वे तो दूसरे किस्म की लटाई हुई और जब हम इसको बन्द करना चाहते हैं तो यह इतना प्रोगेसिव ढंग से था उसको सिलेक्ट कमेटी ने क्यों नहीं किया, यह समझ में नहीं आया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं स्पष्ट कर दूँ कि यह गलत प्रिंटिंग किया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह प्रिंटिंग की गलती है तो प्रिन्टर्स डेविल के नाम से एक बात तो तय हो गई।

दूसरा संशोधन इस किस्म का है जो मैंने खुदकाश्त के सिलसिले में रखा है। पार्ट (३) के अन्त में प्रोविजो बढ़ा दिया जाय जो इस प्रकार का है: 'Provided that he contributes essential human labour in the agricultural operations.' तीन अलग-अलग केटेगरीज़ हम बना रहे हैं पहली तो यह है कि बाइ वन्स ओन लेबर। अब यदि खुद के लेबर से कोई काश्त करता है। तो वह तो 'लेन्ड कल्टीवेटेड परसनली' है ही, और दूसरा है बाई दी लेबर ओफ एनी मेम्बर ओफ वन्स फेमिली। यह भी हो गया। अब उलझन कहाँ आती है; It is cultivated by servants on wages or by hired labour—not one's personal labour or any member of his family or manager, अब इन दोनों में 'एग्रीकल्चरिस्ट' की परिभाषा के समय जो बहस हुई थी उसकी ओर आप का ध्यान आकर्षित करदूं और माननीय मित्र यह देखेंगे कि पार्ट (३) में जो परिभाषा है उसमे खतरनाक और कोई परिभाषा नहीं हो सकती। जहाँ तक 'लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली का सम्बन्ध है क्योंकि यदि इसे आप तोड़ेंगे कि: "if it is cultivated by one's manager. agent under the supervision of one's manager by hired labour" और इस परिभाषा की तहत यह होगा कि चाहे नोम के थाने का समझ लीजिए या चिड़ावा का समझ लीजिए या समझ लीजिए या पिलानी का समझ लीजिये, जहाँ घनश्यामदासजी जैसे कभी जमीन ले लें और वे एजेन्ट मुकर्रर करदें और वह एजेन्ट हायर लेबल पर जमीन काश्त करेगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—नोम के थाने में भी है क्या?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने अभी घनश्यामदासजी की मैनेजरी शुरू नहीं की है, अलबत्ता नवलगढ़ में जरूर है। यद माननीय मित्र को ज्यादा दिलचस्पी है कि पता लगावें तो वहां जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी कि इस प्रकार का एक फार्म होगा और उस फार्मपर हायर्ड लेबर के जरिये किसी मेनेजर के सुपरविजन में खेती हो रही है और वह 'लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली' में शुमार किया जायगा तो फिर परिभाषा रखने की क्या जरूरत है? फिर तो छोटी सी परिभाषा रखनी चाहिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास जो है वह उसी की समझ ली जाय।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आपको शायद यही परिभाषा सूट करेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हाँ, यदि पुलिस-वुलिस नहीं हो तो सूट करेगी; नहीं तो नहीं। एक विचित्र पोजिशन हम पैदा कर रहे हैं। 'एग्रीकल्चरिस्ट' के सिलसिले में कई महानुभावों ने संशोधन रखा था और जोर दिया था कि आप विचित्र परिभाषा रख रहे हैं। 'एग्रीकल्चरिस्ट' की परिभाषा निहित रहेगी तो मतलब यह होगा कि परिभाषा न रखें तो अच्छा। इस शब्द को बचाना है। इसका गला घोटा जा रहा है, उससे इसको बचाना है। इसको बचाने के लिए एक ओर तो माननीय मित्र दावत देते हैं, दूसरी ओर अगर आप चाहें तो चार, छ और क्वालिफिकेशन जोड़ दें; एजेन्ट, डबल एजेन्ट, ट्रिपल एजेन्ट और बढ़ा दें तो कोई बात नहीं लेकिन एक प्रोविजो और बढ़ा दें कि ये चीजें तब लागू होंगी provided that he contributes essential human labour in the agricultural operations. वसी हालत में हायर्ड लेबर से काम करनेवाला पर्सनली कल्टिवेटेड में नहीं आता जब कि खुद कोई भाग नहीं ले और केवल सेलेरीड एम्पलोईज़ के जरिये, मजदूरों को तनख्वाह देकर उनके जरिये लैंड कल्टीवेशन करा सके। इस तरह का नाम रखना है तो आप ऐसी परिभाषा रखें लेकन

कम से कम इसमें 'लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली' नहीं रखें because that will be a sort of capitalized landlordizm.

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अब मौका आ गया है। 'एग्रीकल्चरिस्ट' की परिभाषा में खुदकाश्त का नाम दिया था। जागीर रिजम्पशन का सवाल तय कर दिया है। उसको पंतजी बैठे हुए देख रहे हैं। कहीं उनकी भृकुटि टेढ़ी न हो जाय, लेकिन लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली के सवाल पर न तो पंतजी की भृकुटि का सवाल है और न दूसरी उलझन नजर आती है इसलिये इसको हटाना चाहिये। यदि परिभाषा ऐसी रहती है तो बेकार पोस्टपोन किया हमने 'एग्रीकल्चरिस्ट' परिभाषा को। और दूसरा सवाल, इस वक्त टालमटोल के इरादे से कहिये या अब बाहर के लोगों का समर्थन मिल रहा है इसलिये, या कुछ भी इरादे से कहिये, पोस्टपोन करवाया जाय, और अब लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली के समय यह होगा कि हम कौनसी बात को रखना चाहते है। मुझे थोड़ी बहुत उम्मेद करने का हक है कि जब दावत दी गई है कि उस समय संशोधन रखना तो इसको मंजूर करना भी आपका फर्ज है।

मुझे उम्मीद है कि उधर बैठे हुए कई मेरे माननीय मित्र इसका समर्थन करेंगे। जो मेरे मित्र नावां से आये हैं उन्होने तो पार्टी की परवाह नहीं करते हुए अपने अमेन्डमेन्ट पर वोटिंग तक करवा दिया। तो यह एक मिसाल है। मेरे मित्र जो उधर बैठे हुए हैं उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे कि मेरे प्रस्ताव पर वोटिंग हो और मेरे पक्ष में वोट दें।

हां, एक गलत फहमी हो गई, ओपोजिशन के माननीय लीडर हैं, उनसे हालांकि मुकाबला नहीं हुआ है परन्तु बेरिस्टर नहीं होते हुए भी बहुत माहिर हैं, दलीलें देने में। उन्होंने देखा कि इस आर्गूमेन्ट का कोई उत्तर नहीं है तो फरमाया कि इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेवें।

(हँसी)

वहाँ तो बीमारी पहले से है, जहाँ नहीं हो उसके लिए फिक्र करनी चाहिए।

इसी उम्मीद और भरोसे पर मेरा संशोधन प्रस्तुत है और आशा है कि यह पार लगेगा।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे दो एमेन्डमेन्ट हैं। पहला इस प्रकार है: "After the word 'kind' in the first line the words 'but not by way of a share in crops' be retained". यह तो माननीय मन्त्री महोदय ने एडमिट कर लिया है कि यह प्रिन्टिंग मिस्टेक है इसलिए इसको पेश करने की जरूरत नहीं। दूसरा मेरा संशोधन लास्ट लाइन में है, "After the word ones' the word 'paid' be inserted; after the word 'or' the words 'a salaried' be added" इसमें 'पेड' शब्द रखा जाय। यहां मेनेजर और एजेन्ट दोनों हैं इसलिए इसमें 'पेड' शब्द रखना जरूरी है।

श्री श्रीदास गोयल—Are there some other amendments ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

श्री उपाध्यक्ष—There are more amendments.

श्री श्रीदास गोयल—All right.

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे इस सम्बन्ध में दो एमेन्डमेन्ट हैं। पहला तो यह है जिसको कि मैं मूव करना चाहता हूँ:—

"Delete from the last line 'or one' s manager or agent "

दूसरा इस प्रकार है:—

"From the proviso delete the words 'recognised by the State Government' occurring in lines 4 and 5. "

माननीय उपाध्यक्ष, जिस वक्त 'एग्रीकल्चर' की परिभाषा पर यह सदन विचार कर रहा था उस वक्त मैंने यह निवेदन किया था कि हमको परिभाषा बनाते वक्त उन सिद्धान्तों पर भी ध्यान देना पड़ेगा और इस बदलते हुए युग में जब कि हम कानून बना रहे हैं जमीन के सम्बन्ध में और 'खुदकाश्त' के बारे में सबसे बडा सिद्धान्त जिससे इधर और उधर बैठने वाले कोई इन्कार नहीं करते वह यह है कि जमीन पर उन्हीं का हक होना चाहिए कि जो जमीन पर पसीना बहाकर उपज करते हैं। अब वह जमाना लद गया जब कि दूसरों के पसीने की कमाई पर मौज उड़ाते थे। इसलिए जब इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो इसकी रोशनी में ही इन तमाम परिभाषाओं को देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने 'एग्रीकल्चर' की परिभाषा आई तो कहा कि यह परिभाषा ऐसी न हो कि इसमें वे एग्रीकल्चरिस्ट्स भी खातेदार टिनेन्ट्स कहलाने के योग्य बन जायं जो कि जमीन पर मेहनत करके उपज नहीं करते। मैं दो शब्द निकालने के लिए कहता हूँ। वन्स मेनेजर और एजेन्ट्स; ये दो शब्द अगर निकाल देते हैं तो सिद्धान्ततः इस बात का स्वीकार कर लिया जाता है कि जिसके आधार पर हम यह कानून बनाने जा रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं।

हमारे बड़े सेठ साहूकार जागीरदार या जमींदार लोग, उनके मेनेजर और एजेन्ट्स रख कर हजारों मील, सैंकड़ो मील दूर खुद बैठे रह कर जमीन की काश्त करवा रहे हैं और उससे जो पैदावार होती है उसका आनन्द वे लोग भोग रहे हैं जिन्होंने स्वयम् काश्त कभी की नहीं, स्वयम् हल चलाना जानते नहीं। हम यह कानून उनके लिए बना रहे हैं जो पर्सनली काश्त कर रहे हैं। तो यह नितान्त एक ऐसा कानून हो जायगा जिसके लिए कोई भी यह कह सकेगा कि इसे प्रोग्रेसिव लोगों ने बनाया है। मेरे मित्र मथुरादासजी ने कहा कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है इसलिए बदलना पड़ा इसीलिए हमें, सिलेक्ट कमेटी ने जो पास किया है उसमें तरमीम सोचनी पड रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह उपधारा (२५) वीं, क्लॉज ४, की रखेंगे तो मैं यह कहूँगा कि प्रोग्रसिव युग में रहते हुए भी प्रोग्रेसिव थोट्स को जगह नहीं दी है। लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली उसी सूरत में मानी जाय कि वह खुद द्वारा या अपने निजी रिश्तेदारों द्वारा किस तरह लेबर को कन्ट्रीब्यूट करके जोती गइ हो, काश्त की गइ हो। यह बदलता हुआ युग है। आपने आर्डर्स चेन्ज किये हैं। जागीरदारी प्रथा हटाने का बिल पास कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत में अगर आप थोड़े से लोगों के साथ रियायत करना

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

चाहते हैं तो इसे आप इस कानून में मत रखिये। आप अलग तरीके से उनको रियायत कर दीजिये। क्योंकि यह कानून तो बहुत दिनों तक कायम रहने वाला है। जैसा कि दुनिया कहती है शायद कम्युनिस्ट्स आवेंगे तब तो इसमें तरमीम हो सकती है। पर वे नहीं आवेंगे तो यह कानून यों का यों बना रहेगा और इसमें कोई तरमीम नहीं होगी। इसलिए आप इस तरह की परिभाषा नहीं रखें कि आने वाले जमाने में आप अनप्रोग्रेसिव कहे जाँय। अगर आप थोड़े से लोगों को रियायत देना चाहते हैं, प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो उनके लिये आप अलग रियायत कर दीजिये। इसलिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है। दो शब्द निकाल दिये जांय और 'लेन्ड कल्टीवेटेड पर्सनली' का मतलब ऐसा न हो कि दलीलों के चक्कर में फँसा कर दूसरे लोग इससे फायदा उठा लें।

दूसरा जो मेरा एमेन्डमेन्ट है वह प्रोविजो में है। उसमें लिखा है कि "Provided that in the case of a person who is a widow or a minor or is subject to any physical or mental disability or is a member of the military, naval or air service of India or who, being a student of noe ducational institution. recognised by the State government..." इसमें 'recognised by the State Government, डिलीट करने का मेरा निवेदन है। हो सकता है कि इन्स्टीट्यूशन ऐसे हों जिनको गवर्नमेन्ट ने रिकोग्नाइज़ नहीं किया हो और वे लोग वहाँ पढ़ रहे हों तो थोड़े लड़कों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। इसलिए मैंने यह रखा है; जैसे गुरुकुल हैं। हमारी सरकार सेकुलर होने के नाते उनको रिकोग्नाइज़ नहीं करती है।

तो ये शब्द इससे बाहर निकल जाने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—समय हो गया है। अतः आज की कार्यवाही कल सुबह आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(इसके पश्चात् सदन की बैठक आज ८ बजे रात्रि को, कल दिनांक १२ अगस्त, १९५४ के ८ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ११ अगस्त, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १३६२ का उत्तर देखिये)

केन्द्रों के नाम	मरीजों की संख्या
जोधपुर—	
१. महात्मा गाँधी अस्पताल, जोधपुर	१०८३
२. मेल अस्पताल, सिरोही	१८
जयपुर—	
३. सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर	१२८१
४. करोली	२७
५. सवाई माधोपुर	२
६. हिन्डोन	१३
७. गंगापुर	१
८. झुन्झुनू अस्पताल	६६
९. सरदार अस्पताल, धौलपुर	३१०
१०. विक्टोरिया अस्पताल, भरतपुर	३२२
११. एलेन्जेडर अस्पताल, अलवर	२८६
१२. नीमकाथाना डिस्पेन्सरी	४२
१३. सरवाड़ अस्पताल, सीकर	११३
१४. खेड़ी अस्पताल	१५
१५. चिड़ावा अस्पताल	३७
१६. बी. डी. मालपुरा डिस्पेन्सरी	५
१७. सरदार अस्पताल, टोंक	७८
कोटा—	
१८. जनरल अस्पताल, कोटा	३३५
१९. जनरल अस्पताल, बूंदी	१७

उदयपुर—

२०.	महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा	६२
२१.	जनरल अस्पताल, उदयपुर	४६७
२२.	जनरल अस्पताल, डूंगरपुर	७
२३.	जनरल अस्पताल, बांसवाड़ा	१५३

बीकानेर—

२४.	पी. वी. एम. एम. अस्पताल, बीकानेर	८५७
२५.	स्टेट अस्पताल, गंगापुर	४६०
२६.	बी. डी. अस्पताल, चुरू	१४८४
२७.	होस्पिटल झालावाड़	६३
२८.	सांभर	७०
२९.	किशनगढ़	(एक भी नहीं)

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति में रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

१३६३. (१२६/एम. एच. एम.) श्री भोपालसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर २०—क्या चिकित्सा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या रीयांबड़ी के दवाखानों में कोई फरनीचर भी रक्खा जायगा ?

(ब) यदि हां, तो कितना, क्या-क्या और कब तक ?

उत्तर

(अ) जी हां, रीयां बड़ी के एड पोस्ट में १ टेबल, २ कुर्सियां, १ स्टूल, १ बेन्च १ आलमरी एवं १ साइन बोर्ड आदि फर्नीचर मौजूद हैं।

(ब) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रश्न

१३६७. (३१५/एफ. एम.) श्री मोटाराम, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १०४—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सिवाना तहसील में फेमिन के समय सरकार ने राखी स्टेशन से खाएडफ तक सड़क बनाने की मन्जूरी देकर रकम भेजी थी, उस सड़क का कार्य अभी तक क्यों नहीं शुरू किया गया ?

(ख) क्या इसको बनाने के लिये ठेके दिये गये थे या पी. डब्लू. डी. के अन्दर ही रक्खा था ? इसके लिये क्या सरकार जाँच करेंगी ?

उत्तर

(क) कार्य को प्रारम्भ करने के लिये केन्द्र ता० २५–६–५४ को ही खोल दिया गया था किन्तु कोई खास पीड़ित प्रार्थी कार्य पर न जाने के कारण और तत्पश्चात शीघ्र ही मानो ता० २८ और २६ को वर्षा होने की वजह से प्रार्थी का कृषि आदि कार्यों में लग जाने के कारण यह कार्य प्रारम्भ न हो पाया।

(ख) साधारणतया फेमीन रिलीफ वर्क्स के लिये ठेके नहीं दिये जाते, इसलिये जांच की कोई आवश्यकता नहीं।

प्रश्न

१३६६. (१२७/एम.एच.एम) श्री भोपालसिंह, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर २०— क्या चिकित्सा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) तहसील मेड़ता में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

(ब) इन में किस-किस औषधालय को कितने-कितने रुपये की दवाइयां देने का बजट में प्रोवीजन है ?

(स) क्या इस साल बजट के मुताबिक खर्च कर दिया गया है ?

(द) क्या इन औषधालयों में दवाइयां बिल्कुल नहीं हैं और वैद्य फालतू सरकार से तनख्वाह लेते हैं ?

(र) क्या सरकार औषधालयों की चिन्ताजनक हालत को सुधारने पर विचार कर रही है ?

(ट) यदि हां, तो कब तक व्यवस्था ठीक करदी जावेगी ?

उत्तर

(अ) दो औषधालय रियांबाडी और थांवला।

(ब) इनमें प्रत्येक औषधालय को वर्ष भर में २०० रुपये की दवाइयों की स्वीकृति है।

(स) जी हां।

(द) प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि औषधि पहुँच चुकी है।

(र) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ट) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।